

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940

No. 72]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019

प्रस्तावना

मि. सं. 1–2/2018 (सी.पी.पी.–1/डी.यू).—सिद्ध शैक्षणिक गुणों वाले संस्थानों को सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया को एक सुव्यविश्थित पद्धित से विनियमित करने, और आगे विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप सम विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (i) की खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः

1.0 लघु शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, २०१९ कहा जाएगा।
- 12 ये विनियम ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे जो स्वयं को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करवाना चाहते हैं, यद्यपि, उत्तरव्यापी प्रभाव से ऐसे संस्थान पर भी लागू होंगे जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।
- 1.3 ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 1.4 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 को प्रतिस्थापित करेंगे।

2.0 परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- 2.01 "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 3) अभिप्रेत है,
- 2.02 "कैम्पस अथवा परिसर" से अभिप्राय ऐसे सम विश्वविद्यालय संस्थान के मुख्यालय स्थित परिसर से है, जिसमें संकाय, कर्मचारी वृंद, छात्र, तथा इसके शैक्षणिक विभाग जैसी इसकी मुख्य सुविधाएं भारत के किसी शहर/कस्बे/ग्राम में अवस्थित होंगी और इसमें मुख्यालय में उसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अधीन स्थित सभी परिसर शामिल हैं।

1136 GI/2019 (1)

- 2.03 "आयोग" से अभिप्राय, अधिनियम के अंतर्गत गिटत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) से है।
- 2.04 "श्रेणी" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए (केवल) विश्वविद्यालयों को श्रेणीकरण] विनियम, 2018 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थानों की श्रेणी से है। "श्रेणी— I और श्रेणी— II" का अर्थ तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 2.05 "संघटक संस्थान" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान से है, जो प्रायोजक संगठन के प्रशासनिक, अकादिमक और वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा हो तथा जिसे अधिसूचना के तहत ऐसा घोषित किया गया हो।
- 2.06 "संघटक इकाई" से अभिप्राय संस्थान की ऐसी इकाइ(यों) से है, जो संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया जाने हेतु प्रस्ताव जमा करने के समय मौजुद थीं।
- 2.07 "नए संस्थान" (डी—नोवो) का अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जिसे आयोग द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत यथा—निर्धारित किए गए विशिष्ट तथा 'उभरते हुए ज्ञान के क्षेत्र' में शिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने वाले किसी संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया हो।
- 2.08 "ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र" का "नए संस्थान" के संदर्भ में अभिप्राय ज्ञान के ऐसे विशेषज्ञतापूर्ण / विशिष्ट ऐसे क्षेत्रों से है जिसे वांछनीय तथा उपयोगी समझा जाता है परंतु जिन्हें वर्तमान में देश में पढ़ाया नहीं जाता है।
- 2.09 "विशेषज्ञ समिति" का अभिप्राय आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले ज्ञान और अनुशीलन के प्रासंगिक क्षेत्रों में शिक्षाविदों या अन्य विशेषज्ञों की ऐसी समिति से है जिसमें वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं; और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसी कितनी भी विशेषज्ञ समितियां हो सकती हैं जैसा कि आयोग निर्धारित करें।
- 2.10 'सरकार' से अभिप्राय, जब तक संदर्भ में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया, हो, से अभिप्राय केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है जिसे उच्चतर शिक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया हो।
- 2.11 "संस्थान" से अभिप्राय, स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर स्तरों पर शिक्षण और शोध कार्य में जुटे किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान से है।
- 2.12 ''सम विश्वविद्यालय संस्थान'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श पर, उच्चतर शिक्षा के लिए इस प्रकार घोषित किए गए किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान से है।
- 2.13 "अनिवार्य अवसंरचना" का अभिप्राय संबंधित सांविधिक निकाय / आयोग के मानकों के तहत यथा—अपेक्षित अवसंरचना से है।
- 2.14 ''ऑफ- कैम्पस केन्द्र'' से अभिप्राय, सरकार द्वारा अनुमोदित तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान के परिसर से इतर देश के किसी भाग में स्थित परिसर से है।
- 2.15 ''ऑफ- शोर कैम्पस'' से अभिप्राय, सरकार द्वारा अनुमोदित तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान के परिसर से इतर विदेश में स्थित किसी परिसर से है।
- 2.16 'संसाधन शुल्क' से अभिप्राय ऐसे शुल्क से है जिसे आवेदक संस्थान द्वारा आवेदन के संसाधन हेतु आवेदन के साथ आयोग को भुगतान करना होगा।
- 2.17 ''अधिसूचना'' से अभिप्राय, सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में जारी किसी अधिसूचना से है जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया गया हो।
- 2.18 "प्रायोजक निकाय" से अभिप्राय, एक पूर्त अथवा लाभ अर्जित न करने वाली सोसायटी / न्यास / किसी कम्पनी जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत निगमित किया गया हो, से है जो अपने प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा वित्तीय नियंत्रण के तहत किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किए जाने के लिए आवेदन करता है।
- 2.19 ''सांविधिक निकाय / प्राधिकरण / परिषद्'' का अभिप्राय उच्चतर शिक्षा के संगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करने के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत निगमित किसी निकाय से है जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय दंत परिषद् (डीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई), बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), भारतीय परिचर्या परिषद् (आईएनसी), अथवा संसद के अधिनियम के तहत स्थापित इस प्रकार के किसी ऐसे अन्य विनियामक निकाय से है।
- 2.20 "शिक्षक" का अभिप्राय, आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य के स्तर पर, नियमित संकाय के सदस्य से है, और इसमें 'एडजंक्ट फैकल्टी' और कम से कम तीन वर्ष के दीर्घकालिक अनुबंध पर नियुक्त शामिल है।
- 2.21 "विश्वविद्यालय" का अभिप्राय, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956** में परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है।
- 2.22 "एनएएसी" का अभिप्राय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से है।
- 2.23 "एनबीए" का अभिप्राय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से है।

2.24 "एनआईआरएफ" का अभिप्राय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क से है।

30 सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया जाएगाः

3.01 ऐसी उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना जिससे ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवोन्मेष प्राप्त हो जो मुख्यरूप से स्नातकोत्तर और शोध उपाधि के स्तरों के लिए उपयुक्त समझे जाएं तथा उनमें यथा—परिभाषित विश्वविद्यालय की संकल्पना पर पूर्णरूप से खरे उतरें।

3.02 विविध विधाओं में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में विशिष्ट योगदान करने की सिद्ध क्षमता के साथ विशिष्टता के क्षेत्र में कार्य करना।

3.03 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा और शोध उपलब्ध कराना।

4.0 सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने वाले किसी संस्थान के लिए अईता मानदंड

4.01 सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने हेतु आवेदन करने वाले किसी संस्थान को निम्नवत विनिर्दिष्टताओं पर खरा उतरना होगा:—

- (i) कम से कम 20 (बीस) से अधिक वर्षों से अस्तित्व में रहा हो,
- आंवेदन करते समय लगातार तीन चरणों के लिए कम से कम 3.26 सीजीपीए के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन होना चाहिए <u>अथवा</u> तकनीकी संस्थान के मामले में, दो—तिहाई अर्हक तकनीकी कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से प्रत्यायित होने चाहिए।
- (iii) आवेदन करते समय नेशनल इंस्टीट्यूट रैकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की समग्र रैकिंग में सर्वोच्च 100 (सौ) संस्थानों में अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी में 50 (पचास) संस्थानों में होना चाहिए।
- (iv) उन्होंने बहुविधा पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणवत्तायुक्त शोध परिणामों को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय की विशेषताओं को प्रदर्शित किया हो।
- (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्तायुक्त जर्नलों की संदर्भ सूची के अनुसार सहकर्मी समीक्षित अथवा स्वीकार्य गुणवत्ता की एससीओपीयुएस अथवा वेब ऑफ साइंस पत्रिकाओं में प्रति संकाय कम से कम 2 (दा) वार्षिक प्रकाशन होंगे।
- (vi) शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होगा जिसमें नियमित कक्षा पद्धित के तहत 2000 पंजीकृत छात्रों के लिए कम से कम 100 (सी) शिक्षक होंगे जिसमें से कम से कम एक— तिहाई छात्र स्नातकोत्तर / शोध से जुड़े छात्र होंगे; और शोध कार्यक्रमों के साथ कम से कम पिछले 3 वर्षों से कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग होंगे।
- (vii) संस्थान में ऐसी शैक्षिक और वास्तविक अवसंरचना मौजूद होगी जैसा कि आयोग और / अथवा संगत निकायों द्वारा विहित किया गया हो।
- (viii) संस्थान में प्रति छात्र कम से कम 30 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा जिसमें शैक्षिक (शिक्षा भवन, ग्रंथालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं आदि), प्रशासनिक (छात्रावास, संकाय निवास सुविधाएं, स्वास्थ्य परिचर्या), सामान्य और मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं।

4.02 कायिक निधिः

- (i) सरकार द्वारा अनुरक्षित अथवा वित्तपोषित नहीं किए गए संस्थानों के मामले में मौजूदा संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए तथा नए संस्थान के लिए 25 करोड़ रुपए के लिए कायिक निधि का सृजन किया जाएगा जिसे अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूतियों अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य स्वरूप के माध्यम से प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम में स्थायी रूप से सृजित तथा रख-रखाव किया जाएगा।
- (ii) कायिक निधि पर प्रोदभूत ब्याज को केवल सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

4.03 अभिशासनात्मक ढांचा

प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान का अभिशासनात्मक ढांचा इन विनियमों के खंड 10.00 के अनुसार होगा।

5.0 किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किए जाने की प्रक्रिया।

5.01 सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इन विनियमों में यथा—निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंड पर खरा उतरने वाले संस्थान, सरकार को सूचना देते हुए इस प्रयोजनार्थ विकसित किए गए आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5.02 ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, ऐसा नहीं करने पर, ऑनलाइन प्रणाली आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी:

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान अथवा प्रायोजक निकाय के नाम पर भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
- (ii) एनएएसी / एनबीए प्रत्यायन के संबंध में प्रमाणपत्र।
- (iii) वर्तमान में चलाए जा रहे व्यावसासिक पाठयक्रमों के लिए संगत निकाय का अनुमोदन।
- (iv) मौजूदा शैक्षिक और वास्तविक अवसंरचना के संबंध में जानकारी और साक्ष्य।
- (v) संस्थागत विकास योजना जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण सिहत के साथ साथ शैक्षिक, शोध, अवसंरचनात्मक, वित्तीय और अभिशासन संबंधी योजना को शामिल करते हुए इसके कार्यान्वयन की प्रवाही योजना।
- (vi) संस्थान की सुजित की गई कायिक निधि और संस्थान की वित्तीय धारणीयता का ब्योरा।
- (vii) राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान के मामले में, संबंधित सरकार से वचनबद्धता संबंधी पत्र जिसमें उन्होंने इस बात की प्रतिबद्धता की हो कि वे सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने के बाद भी वित्तीय सहायता जारी रखेंगे।
- (viii) आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई दस्तावेजों की प्रतियों को संस्थान की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से उद्घटित किया जाएगा जिसे संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत्रूप से अनुप्रमाणित किया जाएगा। विधिवत्रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात् गलत पाई गई जानकारी के संबंध में, समय समय पर यथा—संशोधित भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आपराधिक अभियोजन चलाया जाएगा।
- 5.03 आयोग, आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का संबंधित जन प्राधिकरणों से सत्यापन करेगा ताकि उनकी सटीकता का निर्धारण किया जा सके।
- 5.04 आयोग, संस्थागत विकास योजना का मूल्यांकन करने के लिए नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ समिति की मदद से आवेदन की जांच करेगा तािक मौजूदा शैक्षिक और वास्तविक मानदंडों का मूल्यांकन किया जा सके तथा सरकार को आनलाइन आवेदन जमा करने के साठ दिनों के भीतर अपना परामर्श दे सके।
- 5.05 आयोग के परामर्श को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार सामान्यतः आयोग के परामर्श की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लेगी। यदि प्रस्ताव पर सहमति बने तो ऐसे संस्थान को प्रारंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी; अथवा, यदि प्रस्ताव पर सहमति न बने तो सरकार अपने निर्णय से प्रायोजक निकाय को तत्सबंधी कारणों का उल्लेख लिखित में अवगत कराएगी। सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.06 यदि अधिनियम की धारा 3 के तहत संस्थानों को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है तो इसके पश्चात् ऐसे विश्वविद्यालय जो ऐसे संस्थानों से संबद्ध करते हैं, वे ऐसी घोषणा के तीस दिनों के भीतर छात्रों के क्रेडिट तथा ट्रांस्क्रिप्टों को अंतरित करेंगे जो उक्त संस्थान में नामांकित हों तथा अध्ययनरत हों। मौजूदा छात्रों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों अथवा सम विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त हो सकती है। नए भर्ती हए छात्रों को सम विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त होगी।

6.04 नई श्रेणी (नए संस्थान की श्रेणी) के तहत किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने की प्रक्रिया :--

6.04.1 कोई भी प्रायोजक निकाय, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में सिद्ध पिछला रिकार्ड रहा हो, वह सरकार को जानकारी प्रदान करते हुए विशिष्ट तथा 'उभरते हुए ज्ञान के क्षेत्र' में शिक्षण और अनुसंधान के प्रति समर्पित किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान, जिसे मौजूदा संस्थानों द्वारा चलाया नहीं जा रहा हो, की स्थापना हेत् आयोग को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

तथापि, इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संस्थानों को इन विनियमों की खंड 4.01 के तहत छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वे देश की कार्यनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और / अथवा, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में कार्यरत हों।

- 6.04.2 कोई भी प्रायोजक निकाय आवेदन प्रस्तृत करेंगे जिसमें निम्नवत शामिल होंगे :
- (क) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जिसमें उसके पंद्रह वर्ष के विस्तृत कार्यनीतिक विजन योजना और पांच वर्ष की प्रवाही कार्यान्वयन योजना शामिल हो जैसे शैक्षणिक योजना, संकाय भर्ती योजना, छात्र प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, नेटवर्किंग योजना, अवसंरचना विकास योजना, वित्त योजना, प्रशासनिक योजना, अभिशासन योजना, आदि जिसमें स्पष्ट वार्षिक लक्ष्यों और कार्य योजनाओं का उल्लेख हो कि नए अभिज्ञेय निष्कर्षों तथा परिणामों के साथ सम विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना किस प्रकार की जाएगी;
- (ख) विलेख दस्तावेजों के साथ संस्थान की स्थापना के लिए कब्जे के तहत भूमि का विवरण;
- (ग) गठित कायिक कोष का विवरण, और संस्थान की वित्तीय स्थिरता का विवरण;
- (घ) मुख्य अकादिमक और प्रशासनिक कर्मियों के विवरण के साथ, प्रायोजक निकाय का विवरण;
- (ङ) वचनबद्धता कि वह इन विनियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा;
- (च) केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संस्थानों के मामले में, संबंधित सरकार से एक वचनबद्धता का पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ताकि संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने के पश्चात भी कितीय सहायता जारी रखी जाएगी।

6.04.3 आयोग, आवेदन की जांच के लिए आवेदन को एक विशेषज्ञ सिमित को भेजेगा, और सिमित आवेदक संस्थान को एक प्रस्तुति करने के लिए निदेश दे सकता है जिसमें वह इस बात को सिद्ध करे कि क्या संस्था डी—नोवो श्रेणी में आती है अथवा नहीं और क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इन विनियमों के अनुसार है। यदि आवश्यक हो, तो सिमित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले आवेदक संस्थान का दौरा कर सकती है।

6.04.4 विशेषज्ञ सिमिति, आयोग द्वारा उसे रिपोर्ट भेजे जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी जिसमें इस बारे में सिफारिश की गई होगी कि क्या आशय पत्र जारी किया जाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि इस बात की सिफारिश की जाती है कि आशय पत्र जाारी किया जाए तो क्या इसे अतिरिक्त शर्तों के साथ अथवा उसके बिना जारी किया जाए साथ ही ऐसी शर्तों को लागू करने अथवा लागू नहीं करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

6.04.5 आयोग, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर सरकार को अपने परामर्श से अवगत कराएगा, और इसके बाद, सरकार, आयोग के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः तीस दिनों की अविध के भीतर, तीन वर्ष की अविध के लिए वैध एक आशय पत्र जारी करेगी अथवा कारणों को दर्शाते हुए प्रस्ताव को खारिज करेगी।

6.04.6 प्रायोजक निकाय, आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की एक रिपोर्ट सरकार को तीन वर्षों की अवधि के भीतर सरकार सींपेगा, जिसे उसके सत्यापन और परामर्श के लिए आयोग को भेजा जाएगा और सरकार इन विनियमों के खंड 5 में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे के कदम उठाएगी।

ऑफ- कैंपस केन्द्र :

7.01 श्रेणी— I और श्रेणी II अथवा मौजूदा एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 50 रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यहां उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नए ऑफ— कैंपस केन्द्र आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी :

7.01.1 श्रेणी— I और श्रेणी II अथवा मौजूदा एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 50 रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्थान ऑफ— कैंपस केन्द्र आरंभ करने हेतु अनुमोदन के लिए विहित प्ररूप में एक शपथपत्र के माध्यम से सरकार को आवेदन प्रस्तुत करेंगे ताकि ऑफ— कैंपस केन्द्र आरंभ करने के लिए आशय पत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाए।

7.01.2 सरकार, मौजूदा अथवा प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुविधाओं, अध्ययन पाठयक्रमों / कार्यक्रमों, छात्रों के दाखिले की संख्या, वित्तपोषण संबंधी व्यवस्थाओं के ब्योरे वाले आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा, जैसा वह उचित समझे, करने के उपरांत, आवेदन को आयोग का परामर्श प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करेगी। ऑफ— कैंपस केन्द्र आरंभ करने हेत् आवेदन करने वाले संस्थानों को निम्नलिखित विनिर्दिष्टताओं पर खरा उतरना होगा :

- (i) शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होगा जिसमें नियमित कक्षा पद्धित के तहत पंजीकृत कम से कम 500 छात्रों के लिए कम से कम 25 (पच्चीस) शिक्षक होंगे जिसमें से कम से कम एक− तिहाई छात्र स्नातकोत्तर ∕ शोध से जुड़े छात्र होंगे; और शोध कार्यक्रमों के साथ कम से कम 3 स्नातकोत्तर विभाग होंगे।
- (ii) संस्थान में ऐसी शैक्षिक और वास्तविक अवसंरचना मौजूद होगी जैसा कि आयोग और / अथवा संगत निकायों द्वारा विहित किया गया हो।
- (iii) संस्थान में प्रति छात्र कम से कम 30 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा जिसमें शैक्षिक (शिक्षा भवन, ग्रंथालय, व्याख्यान हॉल, प्रयोगशालाएं आदि)।

7.01.3 श्रेणी— I अथवा मौजूदा एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 50 रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्थानों के मामले में वास्तविक निरीक्षण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग का अध्यक्ष संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकता है। आयोग की ओर से अध्यक्ष, स्थायी समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सरकार को परामर्श भेजेगा। श्रेणी— I अथवा मौजूदा एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 50 रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्थान पांच वर्षों की अविध में केवल तीन ऑफ कैम्पस ही स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि एक शिक्षा वर्ष में अधिकतम एक ही परिसर की स्थापना ही की जा सकती है। सरकार द्वारा अधिसुचना जारी किए जाने की तिथि से पांच वर्षों की अविध के पश्चात इन ऑफ कैम्पसों की समीक्षा की जाएगी।

7.01.4 श्रेणी— II के सम विश्वविद्यालय संस्थानों के मामले में, आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई जानकारी का विशेषज्ञ सिमिति द्वारा मूल्यांकन और सत्यापन किया जाएगा, जिसका आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठन किया गया हो। आयोग की ओर से अध्यक्ष, विशेषज्ञ सिमिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सरकार को परामर्श भेजेगा। श्रेणी— II के सम विश्वविद्यालय संस्थान पांच वर्षों की अविध में केवल दो ऑफ कैम्पसों की स्थापना ही कर सकते हैं, बशर्ते कि एक शिक्षा वर्ष में अधिकतम एक ही परिसर की स्थापना ही की जा सकती है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से पांच वर्षों की अविध के पश्चात् इन ऑफ कैम्पसों की समीक्षा की जाएगी।

7.01.5 सरकार, आयोग के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया ऐसे परामर्श की प्राप्ति की तिथि से अगले पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, या तो ऑफ कैम्पस केन्द्र(द्रों) को आरंभ करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी अथवा, जैसा भी मामला हो, नया कैम्पस केन्द्र(द्रों) की स्थापना हेतु एक आशय पत्र जारी करेगी अथवा तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी। सरकार का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

7.01.6 यदि किसी समय आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो सरकार ऑफ कैम्पस केन्द्र(द्रों) को आरंभ करने संबंधी अनुमोदन को वापस ले सकती है; और ऐसे केन्द्रों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए, संस्थान से ऑफ कैम्पस केन्द्र को राज्य/

केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने को कहा जाएगा जिसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार हो। विधिवत्रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात् गलत पाई गई जानकारी के संबंध में समय–समय पर यथा–संशोधित भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आपराधिक अभियोजन चलाया जाएगा।

ऑफ शोर कैम्पस:

7.02 श्रेणी— I के सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमित प्राप्त करने के उपरांत नया ऑफ शोर कैम्पस आरंभ करने की अनुमित प्रदान की जाएगी। सम विश्वविद्यालय संस्थान नए ऑफ शोर कैम्पस में भी अपने मुख्य कैम्पस के समान ही मानकों का रखरखाव करेंगे तथा समान प्रवेश मानक, पाट्यचर्या, परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली का पालन करेंगे। ऑफ शोर कैम्पस के बारे में सभी जानकारियों को सम विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

7.03 मीजूदा ऑफ शोर कैम्पस चलते रहेंगे बशर्ते कि उन्होंने विधिवत्रूप से अनुमति प्राप्त की हो।

8.0 सम विश्वविद्यालय संस्थान के मुख्य परिसर तथा अनुमोदित ऑफ कैम्पस में नए पाठ्यक्रम/ विभाग/ स्कूल आरंग किए जाने की प्रक्रिया

8.01 श्रेणी I अथवा श्रेणी II अथवा मौजूदा एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 50 रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्थान, अपने मौजूदा मुख्य कैम्पस और अनुमोदित ऑफ कैम्पस(सों) में किसी भी क्षेत्र में अपने प्रबंधन बोर्ड तथा जहां कहीं भी लागू हो, संबंधित सांविधिक निकायों के पूर्व अनुमोदन से नए पाठ्यक्रम(मों) / कार्यक्रम(मों) / विभाग(गों) / स्कूल / संकाय(यों) को आरंभ कर सकते हैं। ऐसे संस्थान, आयोग को अपने मौजूदा मुख्य परिसर तथा अनुमोदित ऑफ कैम्पस में सम विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड तथा संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के एक माह के भीतर नए पाठ्यक्रम / कार्यक्रम / विभाग / स्कूल / केन्द्र आरंभ करने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

बशर्ते कि सम विश्वविद्यालय संस्थान जो कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इसकी किसी ऐजन्सी से सहायता अनुदान अथवा अन्य अनुरक्षण निधियां प्राप्त कर रहे हों, उस स्थिति में उपर्युक्त सरकार की पूर्व अनुमित प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

8.02 उपर्युक्त 8.01 में उल्लिखित संस्थानों के अलावा अन्य सम विश्वविद्यालय संस्थान, केवल अपने मौजूदा परिसर तथा अनुमोदित ऑफ कैम्पस केन्द्रों में केवल प्रबंधन बोर्ड और, साथ ही जहां लागू हो, संगत सांविधिक निकायों से अनुमित प्राप्त करके ही संबद्ध क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम(मों) / कार्यक्रम(मों) / किमाग(गों) / स्कूल / संकाय(यों) को प्रारंभ कर सकते हैं। संबद्ध क्षेत्रों के अलावा पाठ्यक्रम(मों) / कार्यक्रम(मों) / किमाग(गों) / स्कूल / संकाय(यों) को आरंभ करने के लिए संगत सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा आयोग से भी पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आयोग, संस्थान से आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अनुमोदन अथवा आवेदन को अस्वीकार करने, जैसा भी मामला हो, के संबंध में निर्णय के बारे में अवगत कराएगा।

9.0 सम विश्वविद्यालयों के निष्पादन की निगरानी

9.01 सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों के निष्पादन और शैक्षिक उपलिखयों की सार्वजनिक उद्घटनों और निष्पादन मानदंडों के आधार पर वार्षिक रूप निगरानी करना आयोग का उत्तरदायित्व होगा, नामतः

- क) स्नातक स्तर पर उपलिध्यां इस प्रकार के होंगे कि स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार / स्व-रोजगार तक पहुँच प्राप्त करें या उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत हों;
- ख) समाज / उद्योग के साथ छात्रों के जुड़ाव को बढ़ावा देना, ताकि संस्थान में अध्ययन के दौरान कम से कम दो—तिहाई छात्र सामाजिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हों;
- ग) छात्रों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल जैसे टीम—वर्क, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, समय—प्रबंधन कौशल, 'सॉफ्ट स्किल', आदि में छात्रों को प्रशिक्षित करना; और छात्रों के बीच नवाचार / उद्यमशीलता और महत्वपूर्ण सोच की भावना पैदा करना और इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त करना;
- घ) शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होगा जिसमें नियमित कक्षा पद्धित के तहत पंजीकृत कम से कम 2000 छात्रों के लिए कम से कम 100 (सौ) शिक्षक होंगे जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय पर शिक्षक के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे;
 - ङ) छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
 - च) नियमित अंतराल पर परिणाम आधारित अधिगम पाठयचर्या ढांचे (एलओसीएफ) को अंगीकार करना तथा पाठयचर्या को संशोधित करना;
 - छ) प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित शिक्षण उपकरण का उपयोग करना;
 - ज) चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस), अंतर्विधा शिक्षण के लिए शैक्षणिक लचीलेपन को अपनाना;
- झ) परीक्षा सुधार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों का मूल्यांकन अवधारणाओं की समझ तथा उनके अनुप्रयोग पर आधारित हो;
- अ) सुनिश्चित करना कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से कम से कम आधे छात्र गेट/ जेएएम/ वि.अ.आ.— नेट जैसी परीक्षाओं के लिए बैठें तथा उनमें बैठने वाले छात्रों में कम से कम आधे छात्र ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएं।
 - ट) पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्र की प्रगति पर नज़र रखना;

- ट) सुनिश्चित करना कि भर्ती के तुरंत बाद सभी नए शिक्षकों को शैक्षणिक पहलुओं के संबंध में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाया जाए;
- ड) सभी मौजूदा शिक्षकों को एक वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण करवाया जाए;
- ढ) एनआईआरएफ रैंकिंग में अनिवार्य भागीदारी;
- ण) राष्ट्रीय स्तर की योग्यता—आधारित प्रवेश प्रक्रिया;
- त) विअआ के गुणक्ता संबंधी अधिदेश के अनुसार गुणक्ता सुधार के उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना;
- थ) सुनिश्चित करना कि संसद के विशिष्ट अधिनियमों के तहत गठित प्राधिकरण के बिना पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए, साथ साथ इन विनियमों की खंड 8 के अनुरूप अभिशासित कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम न ही शुरू करें न ही चलाएं;
- द) चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के स्वरूप के बारे में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ब्योरा दें। प्रदान किया जाने वाला ब्योरा इस प्रकार है वर्ष, विभाग, पाठ्यक्रमों की पेशकश, क्या पाठ्यक्रम पेशेवर या सामान्य स्वरूप का है, सांविधिक परिषद् की मंजूरी, विअआ की मंजूरी, प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या, नामांकित छात्रों की वास्तविक संख्या, आदि।
- ध) विअआ और संगत सांविधिक निकायों द्वारा समय—समय पर इन विनियमों और अन्य नियमों / विनियमों / निदेशों का पालन करने के संबंध में जारी निर्देश।
 - न) प्रत्येक वर्ष दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने पर, सम विश्वविद्यालय संस्थान अपनी वेबसाइट पर सभी आंकड़ों को अपलोड करेगा।

9.02 आयोग, किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान के वास्तविक सत्यापन के बारे में निर्णय करेगा, या खण्ड 9.01 में संदर्भित मानदंडों के संबंध में संस्था की वेबसाइट पर डाली गई जानकारी की सटीकता और सत्यता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर ही ऐसे सत्यापन के लिए दलों का गठन करेगा।

10.0 अभिशासन प्रणाली

10.01 प्रस्तावित / मौजूदा सम विश्वविद्यालय संस्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत लाभ अर्जित नहीं करने वाली सोसायटी अथवा लोक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत लाभ अर्जित नहीं करने वाली न्यास अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाभ अर्जित नहीं करने वाली संस्था के रूप में पंजीकृत होने चाहिए :

बशर्ते यदि, प्रयोजक निकाय को विशिष्टरूप से शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए स्थापित किया गया है, तो उन्हें सम विश्वविद्यालय के लिए पृथक लाम अर्जित नहीं करने वाली सोसायटी /न्यास / कंपनी का गठन करने से छूट प्राप्त होगी। तथापि, प्रायोजक निकाय ने अपने पंजीकरण विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हो कि प्रायोजक निकाय का केवल सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रबंधन करने के लिए सृजन किया गया है और प्रायोजक निकाय द्वारा कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं किए जा रहे हैं अथवा भविष्य में नहीं किए जाएंगे:

बशर्ते आगे कि किसी मौजूदा सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रयोजक निकाय की शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए कोई विशिष्ट सोसायटी / न्यास / कंपनी नहीं हो, तो वह एक नई गैर—लाभ अर्जक सोसायटी / न्यास / कंपनी का गठन करेगा। ऐसे मामलों में प्रयोजक निकाय को नई बनाई गई सोसायटी / न्यास / कंपनी में चल और अचल परिसम्पत्तियों को अंतरित करने से छूट प्राप्त होगी। यदि ऐसा प्रायोजक निकाय विधिवत रूप से नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया एक वचनपत्र जमा करता है कि सम विश्वविद्यालय संस्थान को आवंटित समग्र चल तथा अचल परिसम्पत्तियों को आयोग की पूर्व अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा अथवा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, सम विश्वविद्यालय के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित की गई सोसायटी / न्यास / कंपनी द्वारा सभी भावी विस्तार किए जाएंगे:

बशर्ते यह भी कि प्रायोजक निकाय किसी भी किराए या अन्य प्रभारों के बिना सम विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा।

10.02 संस्थान की सभी चल और अचल संपत्ति का उपयोग केवल शैक्षणिक क्रियाकलापों के संचालन, अनुसंधान को बढ़ावा देने, सम विश्वविद्यालय संस्थान की संबंधित प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

10.03 सम विश्वविद्यालय संस्थान का सर्वोच्च शासी निकाय, कम से कम 10 से अधिकतम 15 सदस्यों वाला प्रबंधन बोर्ड होगा जिसकी अध्यक्षता क्लपति महोदय करेंगे।

10.04 संस्थान का प्रबंधन बोर्ड, प्रायोजक निकाय से स्वतंत्र होगा तथा शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने के लिए प्रायोजक निकाय से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

10.05 प्रबंधन बोर्ड की संरचना निम्नवत होगी:-

- (i) कुलपति अध्यक्ष;
- (ii) उप कुलपति (जहां कहीं भी लागू हो),
- (iii) सम विश्वविद्यालय संस्थान के दो संकाय अध्यक्ष जिन्हें पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती आधार पर नियुक्त किया जाएगा;

- (iv) कुलाधिपति द्वारा यथा—नामनिर्दिष्ट तीन उत्कृष्ट शिक्षाविद्, जो आचार्य के पद पर कार्य कर चुके हों तथा वे न ही सम विश्वविद्यालय संस्थान, न ही प्रायोजक निकाय से जुड़े होंगे।
- (v) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, जो कि उत्कृष्ट शिक्षाविद् होगा तथा आचार्य के पद से नीचे नहीं होगा, जहां सम विश्वविद्यालय संस्थान ऐसी सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता हो अथवा पिछले तीन वर्षों के औसत व्यय के 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का अनुदान सीधे सरकार से अथवा इसकी एजेन्सियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हों, जोिक कम से कम आचार्य के पद पर नियुक्त एक उत्कृष्ट शिक्षाविद् होगा, अन्य सभी सम विश्वविद्यालयों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोग द्वारा अनुमोदित एक प्रक्रिया के माध्यम से चयनित नामों के पैनल से एक एक प्रतिनिधि को नामित करेगा।
- (vi) सम विश्वविद्यालय संस्थान से दो शिक्षक, जिनमें से एक आचार्य, सह आचार्य के संवर्ग से होगा, जिन्हें पारस्पिरक विष्ठिता के अनुसार क्रमावर्ती आधार पर नियुक्त किया जाएगा;
- (vii) प्रायोजक निकाय के अधिकतम चार नामितिः
- (viii) कुल सचिव, जो कि प्रबंधन बोर्ड का पदेन सचिव होगा।

10.06 प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

10.06.1 पदेन सदस्यों तथा शिक्षकों के अलावा प्रबंधन बोर्ड के सभी अन्य सभी सदस्यगण पहली नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की कार्य अविध के लिए कार्यालय में बने रहेंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

10.06.2 शिक्षकों में से प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त सदस्यगण दो वर्ष की अवधि अथवा ऐसे समय के लिए पद पर बने रहेंगे जब तक कि वे सम विश्वविद्यालय संस्थान के शिक्षण कर्मचारी वृंद बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

10.07 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां तथा सीमाएं

10.07.1 प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधन तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान के शीर्ष कार्यकारी निकाय का मूल अंग होगा। इसे संस्थान के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

10.07.2 प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय, विकास संबंधी मामलों आदि सहित सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक मामले के संबंध में संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा।

10.07.3 प्रबंधन बोर्ड, इन विनियमों के तहत संबंधित प्राधिकारियों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगा। जहां कहीं भी प्राधिकारियों को परामर्शदात्री / संस्तुतिकारी शक्तियां प्रदान की गई हों, प्रबंधन बोर्ड ऐसे प्राधिकारियों से परामर्श / सिफारिशें प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लेगा।

10.08 प्रबंधन बोर्ड की बैठकें :

- प्रबंधन बोर्ड की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी, जिसके लिए प्रत्येक बैठक हेतु कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।
- (ii) प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (iii) कुलपित की अनुपस्थिति में, सम
 कुलपित बैठक की अध्यक्षता करेगा; तथा यदि किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान में सम कुलपित नहीं हो तो, उपस्थित अन्य सदस्यगणों द्वारा चुना गया सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (iv) प्रबंधन बोर्ड का प्रत्येक सदस्यगण, जिसमें इसका अध्यक्ष भी शामिल होगा, का एक मत होगा तथा बोर्ड की बैठकों में साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा; मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष महोदय का मत निर्णायक होगा।
- (v) कोई भी कार्य जिसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना हो. उसे उसके सदस्यगणों के बीच पिरचालित कर किया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति, बैठक के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति को उपलब्ध कराई जाएगी।

10.09 सदस्यता की समाप्ति

यदि कुलपति के अलावा कोई अन्य सदस्यगण तथा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, सम विश्वविद्यालय संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करते हैं अथवा उचित रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमित प्राप्त किए बिना प्रबंधन बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो वे प्रबंधन बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे।

10.10 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रबंधन बोर्ड, संकल्प के माध्यम से, सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपित और किसी अन्य अधिकारी/संकाय अथवा अधिकारियों/संकायों की सिमिति, जैसा वह उचित समझे, को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपित अथवा संबंधित अधिकारी/संकाय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में जानकारी प्रदान की जाएगी।

10.11 सम विश्वविद्यालय संस्थान के अन्य प्राधिकरण

10.11.1 शिक्षा परिषद

- (क) शिक्षा परिषद्, सम विश्वविद्यालय संस्थान का मूल शैक्षणिक निकाय होगा तथा नियमों के उपबंधों के अधीन, यह सम विश्वविद्यालय संस्थान में शिक्षण के मानकों का रखरखाव करने, शोध और प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या का अनुमोदन करने, शोध क्रियाकलापों, परीक्षाओं तथा जांच के मानकों का रखरखाव करने हेतु उत्तरदायी होगा और उन्हें नियंत्रित भी करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्य तथा कृत्य करेगा जैसा विहित किया जाए और संस्थान के नियमों के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए हों। शिक्षा परिषद् की संरचना निम्नवत होगी:—
 - (i) कुलपति अध्यक्ष;
 - (ii) सम कुलपति (यदि कोई हो तो);
 - (iii) संकाय अध्यक्ष;
 - (iv) विभागाध्यक्ष;
 - (v) पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्ती आधार पर नियुक्त विभागाध्यक्षों के अलावा दो आचार्य;
 - (vi) पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्ती आधार पर नियुक्त विभागाध्यक्षों के अलावा विभागों से दो सह—आचार्य;
 - (vii) पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्ती आधार पर नियुक्त विभागाध्यक्षों के अलावा विभागों से दो सहायक आचार्य;
 - (viii) विख्यात शिक्षाविदों अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान में क्रियाकलापों के क्षेत्र से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित तीन व्यक्ति जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत नहीं हो, जिन्हें कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (ix) तीन व्यक्ति, जो कि शिक्षक नहीं हों, जिन्हें उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए शिक्षा परिषद द्वारा चयनित किया जाएगा।
 - (x) कुल सचिव, जो कि शिक्षा परिषद का पदेन सचिव होगा।

नोट: अलग—अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व चयन द्वारा नहीं बल्कि क्रमावर्ती तरीके से ही होगा। पदेन सदस्यगणों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। शिक्षा परिषद की बैठकों में परीक्षा नियंत्रक स्थायी आमंत्रिती होगा।

ख. शिक्षा परिषद् की शक्तियां तथा कार्यः शिक्षा परिषद् की निम्नवत् शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, नामतः—

- अपनी स्वयं की पहल पर अथवा प्रबंधन बोर्ड के कहने पर अथवा विभागों/संकायों द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक रुचि के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उपयुक्त कार्यवाही करना;
- सम विश्वविद्यालय संस्थान के शैक्षणिक कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शैक्षणिक मानकों में सुधार करने के लिए शिक्षण पद्धित,
 मृत्यांकन और शिक्षा के मानकों में सुधार करने आदि के संबंध में निदेश देना;
- (iii) सम विश्वविद्यालय संस्थान के भीतर शोध को बढावा देना, और समय—समय पर ऐसे शोध पर रिपोर्टें प्राप्त करना;
- (iv) सम विश्वविद्यालय संस्थान में अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम/कार्यक्रम विहित करना जिससे डिग्री तथा डिप्लोमा प्रदान किए जाएं,
- (v) उप विधि के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए व्यवस्था करना;
- (vi) अलग–अलग परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, 'मॉडरेटरों', सारणीकारों (टेब्यूलेटरों) तथा ऐसे ही अन्य कर्मियों की नियुक्ति करना;
- (vii) परीक्षाओं के उपर्युक्त मानकों को बनाए रखना;
- (viii) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में डिप्लोमा तथा डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान के डिप्लोमा तथा डिग्रियों के साथ समत्ल्यता का निर्धारण करना;
- (ix) विभागीय समन्वय हेतु उपायों का सुझाव देना;
- (x) प्रबंधन बोर्ड को निम्नवत के संबंध में सिफारिश देना:-
 - (क) शिक्षण शोध तथा प्रशिक्षण के मानकों में सुधार हेतु उपाय करना;
 - (ख) अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां पदक तथा पुरस्कार आदि आरंभ करना;
 - (ग) प्रबंधन बोर्ड को विभागों / केन्द्रों की स्थापना करने तथा उन्हें बंद करने की सिफारिश करना; और
 - (घ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के शैक्षणिक कार्यकलापों जिसमें प्रवेश, परीक्षाएं, अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां, 'फ्री शिष्स्', छूट, उपस्थितियां, अनुशासन, निवास स्थान आदि को सम्मिलित करते हुए नियम तैयार करना।

- (xi) प्रबंधन बोर्ड द्वारा संदर्भित किये जाने वाले ऐसे विशिष्ट मामलों के संबंध में परामर्श प्रदान करने के लिए उप—समितियों का गठन करनाः
- (xii) उप— समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और प्रत्येक मामले में यथा अपेक्षित परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही करना;
- (xiii) विभागों / केन्द्रों के क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा करना तथा अनुदेश के मानकों का रखरखाव करने तथा उनमें सुधार करने के महेनजर उपर्युक्त कार्यवाही करना;
- (xiv) प्रबंधन बोर्ड को शिक्षण पदों (आचार्य, सह आचार्य तथा सहायक आचार्य) के प्रतिष्ठापन के संबंध में सिफारिश करना; और
- (xv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो नियमों द्वारा प्रदत्त की गई हों अथवा उन्हें सौंपी गई हों।

ग. शिक्षा परिषद की बैठक

- (i) शिक्षा परिषद् की जितनी बार आवश्यकता हो, बैठक होगी परंतु एक शिक्षा वर्ष में तीन से कम बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। शिक्षा परिषद् की प्रत्येक बैठक से पूर्व कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
- (ii) शिक्षा परिषद् की बैठक हेतु शिक्षा परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।
- (iii) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। शिक्षा परिषद् की बैठकों में साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
- (iv) शिक्षा परिषद् द्वारा अनिवार्य रूप से निष्पादित किया जाने वाला कोई भी कार्य, सिवाय ऐसे कार्यों के जिन्हें बैठक में रखा जा सकता है, को संकल्प परिचालित कर निष्पादित किया जा सकता है।

10.11.2 आयोजना तथा निगरानी बोर्डः

- (i) आयोजना और निगरानी बोर्ड, सम विश्वविद्यालय संस्थान का मुख्य आयोजनाकार निकाय होगा तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ii) कुलपति तथा कुल सचिव आयोजना और निगरानी बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव होंगे। इसमें सम विश्वविद्यालय संस्थान से सात सदस्यगण तथा तीन बाह्य विख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- (iii) आयोजना और निगरानी बोर्ड की संरचना, शक्तियां तथा कार्यकरण को नियमों द्वारा विहित किया जाएगा।
- (iv) आयोजना और निगरानी बोर्ड, प्रबंधन बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् को ऐसे किसी भी मामले पर परामर्श देने का अधिकार होगा जिसे वह सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे।
- (v) आयोजना और निगरानी बोर्ड की सिफारिशों को प्रबंधन बोर्ड के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

10.11.3 वित्त समिति

क. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः

- (i) कुलपति— अध्यक्ष;
- (ii) सम क्लपति (यदि कोई हो तो);
- (iii) सोसाइटी / न्यास / कंपनी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;
- (iv) प्रबंधन बोर्ड के दो नामिति, जिसमें से एक बोर्ड का सदस्य होगा;
- (v) केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि जोकि भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होगा अथवा भारत सरकार की ओर से उसका प्रतिनिधि, यदि संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता हो अथवा संस्थान अपने व्यय (पिछले तीन वर्ष के लेखा के औसत पर आधारित) के 50 प्रतिशत अथवा समकक्ष अथवा उससे अधिक का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से अथवा इसकी एजेंसियों से प्राप्त हो रहा हो; अन्य सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोग द्वारा अनुमोदित एक प्रक्रिया के माध्यम से चयनित नामों की एक तालिका से एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- (vi) यदि सम विश्वविद्यालय संस्थान राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो तो राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होगा;
- (vii) वित्त अधिकारी- पदेन सचिव होगा।

ख वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकालः

पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के सभी सदस्यगणों का कार्यकाल प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों की अवधि का होगा।

ग. वित्त समिति की शक्तियां तथा कार्यकरणः

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान के वार्षिक लेखे तथा वित्त प्राक्कलन पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (ii) वार्षिक बजट तथा संशोधित अनुमानों पर विचार करना तथा प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना;
- (iii) सम विश्वविद्यालय संस्थान की आय तथा संसाधनों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय की सीमा निर्धारित करना।

नोट : सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा बजट में उपबंधित किसी व्यय के अलावा कोई भी व्यय, वित्त समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

घ. वित्त समिति की बैठकें

लेखाओं की जांच करने तथा व्यय हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार वित्त समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक हेतु चार सदस्यों की गणपूर्ति होगी।

10.11.4 **अध्ययन बोर्ड**ः

सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा। प्रत्येक संकाय / विभाग हेतु अध्ययन बोर्ड की संरचना निम्नवत होगी:—

- (i) संकाय अध्यक्ष / विभागाध्यक्ष : अध्यक्ष;
- (ii) संकाय / विभाग के सभी आचार्यगण;
- (iii) पारस्परिक वरिष्ठता के क्रमावर्तन के अनुसार संकाय / विभाग के दो सह-आचार्य
- (iv) पारस्परिक वरिष्टता के क्रमावर्तन के अनुसार संकाय / विभाग के दो सहायक आचार्य
- (v) संबंधित पेशे अथवा उद्योग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों सहित विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हेतु अधिकतम दो व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा।

 नोट: अध्ययन बोर्ड की शक्तियों तथा कार्यकरणों को सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

10.11.5 चयन समितिः

- (i) समय-समय पर यथा-आशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादिमक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव करने हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करने के लिए एक अथवा एक से अधिक चयन सिमिति होगी।
- (ii) चयन समिति की बैठकें, जब कभी आवश्यक हों, चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएंगी।
- (iii) चयन समिति के चार सदस्य जिसमें कम से कम दो विशेषज्ञ होंगे, द्वारा गणपूर्ति होगी।

10.11.6 सम विश्वविद्यालय संस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित प्रकीर्ण मामले

- (i) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विधिवत् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है अथवा नियुक्त किया गया है, अथवा वह, किसी प्राधिकरण अथवा किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान की समिति की सदस्यता के लिए अर्हक है तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय तत्संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (ii) किसी प्राधिकरण के किसी पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य, कुल सचिव के नाम पत्र भेजकर त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसा त्यागपत्र, कुलाधिपति अथवा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किए जाने पर तुरंत प्रभावी होगा।
- (iii) किसी प्राधिकरण के सदस्यों अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान की किसी समिति में अचानक हुई रिक्तियों को यथा—संभव शीघ्र, और छह माह की अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा भरा जाएगा।
- (iv) कोई भी व्यक्ति, सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने अथवा सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगाः
 - (क) यदि वह विक्षिप्त हो;
 - (ख) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

- (ग) यदि उसे विधि द्वारा स्थापित किसी न्यायालय से नैतिक अधमता के लिए दोषसिद्ध टहराया गया हो;
- (घ) यदि उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नियुक्त न किया गया हो।

नोटः यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति जो कि उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से निर्रह हुआ हो अथवा निर्रह किया गया है, तो इस संबंध में निर्णय लेने के लिए इस प्रश्न को कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

10.12 सम विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकारीगणः

10.12.1 कुलाधिपति और प्रति–कुलाधिपति

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान में एक कुलाधिपति होगा, जो उपस्थित होने पर, सम विश्वविद्यालय संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा परंतु वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं होगा।
- (ii) कुलाधिपति, जिसे प्रायोजक निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह पद भार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत होगा तथा एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगा।
- (iii) जहां कुलाधिपति को व्यक्तियों को प्राधिकरण में नामनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हों, तो वह जिस सीमा तक आवश्यक हो, सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितों से संबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- (iv) प्रति—कुलाधिपति : सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रायोजक निकाय, किसी व्यक्ति को प्रति—कुलाधिपति नियुक्त कर सकता है, जिसकी भूमिका इन विनियमों में केवल कुलाधिपति को सौंपे गए कार्यों का निवर्हन करना होगा, जब कुलाधिपति महोदय इन कार्यों के निवर्हन के लिए उपलब्ध नहीं हों। इस प्रकार नियुक्त प्रति—कुलाधिपति, कुलाधिपति के पद पर बने रहने तक ही अपने पद पर बना रहेगा तथा उसके द्वारा पद त्यागने के साथ ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

10.12.2 **कुलपति**

- क. कुलपति सम विश्वविद्यालय संस्थान का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा उसे खोज—सह—चयन समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों की तालिका से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ख. कुलपति की पात्रता समय—समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादिमक कर्मचारिवृंदों की नियुवित हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव करने हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप होंगी।
- ग. कुलपति का चयन करने हेतु खोज—सह—चयन सिमति की प्रक्रिया/ संरचना निम्नवत होगी:—
- (i) यदि, सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रबंध नियंत्रण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास हो तो कुलपित की नियुक्ति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी।
- (ii) यदि सम विश्वविद्यालय संस्थान को सरकार अथवा इसकी एजेन्सियों द्वारा सहायता अनुदान अथवा किसी अन्य पद्धित से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हो जोकि इसके व्यय के 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो (पिछले तीन वर्ष के लेखाओं के औसत के आधार पर) तो खोज— सह— चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी:—
 - (क) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति का एक नामिति, जोकि एक प्रख्यात शिक्षाविद् होगा;
 - (ख) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट केन्द्र सरकार का एक नामिति, जो कि एक विख्यात शिक्षाविद् होगा।
 - (ग) प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक शिक्षाविद जिसकी आचार्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो;
- (iii) यदि, सहायता अनुदान अथवा किसी अन्य पद्धित से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हो, जोकि इसके व्यय के 50 प्रतिशत से कम हो (पिछले तीन वर्ष के लेखाओं के औसत के आधार पर) तो उस स्थिति में खोज— सह— चयन सिमित की संरचना निम्नवत होगी:
 - (क) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति का एक नामिति, जोकि एक प्रख्यात शिक्षाविद् होगा;
 - (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय का नामिति
 - (ग) प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक शिक्षाविद् जिसकी आचार्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो;

घ. कुलपति का कार्यकालः

(i) कुलपति का कार्यकाल, पद भार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष का होगा। वह द्वितीय कार्यकाल के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक न हो :

बशर्ते कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद भी वह अधिकतम छह माह अथवा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त न हो जाए, और कार्यभार ग्रहण न कर ले, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए पद पर बना रह सकता है।

(ii) यदि कुलपति का पद, मृत्यु, त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए अथवा बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से कुलपति अनुपस्थित रहें तो सम कुलपति, और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम आचार्य, नए कुलपति की नियुक्ति होने अथवा मौजूदा कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने, जैसा भी मामला हो, तक कुलपति के कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगा।

ङ. कुलपति की शक्तियां

- (i) कुलपति, सम विश्वविद्यालय संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह सम विश्वविद्यालय संस्थान के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा उन्हें नियंत्रित करेगा तथा वह सम विश्वविद्यालय संस्थान के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।
- (ii) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शिक्षा परिषद्, वित्त समिति तथा आयोजना और निगरानी बोर्ड तथा चयन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (iii) कुलपति को सम विश्वविद्यालय संस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों की बैठक आहूत करने अथवा आहूत करवाने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (iv) कुलपित, यदि उसके विचार से किसी मामले में तुरंत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता हो तो सम विश्वविद्यालय संस्थान के विनियमों तथा नियमों के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसी कार्यवाही करेगा और ऐसी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाएगा तथा ऐसे मामलों पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को जानकारी देगा:

बशर्तें कि उपर्युक्त खंड (ii) में यथा—उल्लिखित संबंधित प्राधिकरण का यह मत हो, कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को भेजेगा, जिसका तत्संबंध में निर्णय अंतिम होगा :

बशर्तें आगे कि यदि कोई व्यक्ति जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत हो तथा उक्त खंड के तहत कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही से क्षुध्य हो तो उसे ऐसी कार्यवाही के बारे में संसूचित की गई तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के संबंध में प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर प्रबंधन बोर्ड, तत्पश्चात् एक बैठक बुलाएगा तथा कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे आशोधित कर सकता है अथवा कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही को उलट सकता है।

- (v) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों और सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों का विधिवत्रूप से पालन किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए; और उनके पास इस संबंध में सभी अनिवार्य शक्तियां होंगी।
- (vi) सम विश्वविद्यालय संस्थान के उपयुक्त रखरखाव तथा अनुशासन से संबंधित सभी शक्तियां, कुलपति में निहित होंगी।
- (vii) कुलपति ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की गई हों।
- (viii) कुलपति को अपनी कतिपय शक्तियों को प्रबंधन बोर्ड की सहमति तथा अनुमति से उसके अधीनस्थ अधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (ix) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कार्य करेगा जैसा कि विनियमों, नियमों तथा उप विधि द्वारा विहित की जाएं।

ड. कुलपति का निष्कासन

- (i) यदि ऐसा विश्वास करने के समुचित कारण हों कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपित के पास इन विनियमों में यथा—अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं और साथ ही साथ समय—समय पर यथा—संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादिमक कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव करने हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया हो अथवा उन्होंने कोई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताएं की हों, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष इस मामले की जांच करने के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा वित्तीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा।
- (ii) जहां जांच समिति की रिपोर्ट अपात्रता, अथवा प्रक्रियागत उल्लंघनों, अथवा अनियमितताओं, जैसा भी मामला हो, की पुष्टि करे तो आयोग कुलाधिपति को विधिवत् प्रक्रिया का पालन कर कुलपति को निष्कासित करने का निदेश दे सकता है;

बशर्ते कि, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के कुलपतियों के मामले में, आयोग, कुलपति को हटाने के संबंध में अपना परामर्श भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जैसा भी मामला हो, को भेजेगा।

10.12.3 **प्रति— कुलपति**

(i) प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से प्रति— कुलपित के पद का सृजन किया जा सकता है।

तथापि, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित संस्थानों के मामले में पद का सृजन करने से पूर्व उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

- (ii) कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रति-कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) प्रति-कुलपति का कार्यकाल, कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
- (iv) प्रति—कुलपति की सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा यथा विहित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे।

10.12.4 कुल सचिव

- (i) कुल सचिव, सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा जिसे चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें निम्नवत अंतर्विष्ट होंगे :--
 - (क) कुलपति –अध्यक्ष;
 - (ख) कुलाधिपति का एक नामिति;
 - (ग) प्रबंधन बोर्ड का एक नामिति; और
 - (घ) प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ जोकि सम विश्वविद्यालय संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा।
- (ii) कुल सचिव की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा यथा–विहित होंगी।
- (iii) जब कुल सचिव का पद रिक्त होगा अथवा जब कुल सचिव अवकाश पर होगा या किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित होगा, तो कुल सचिव के कर्तव्यों तथा कृत्यों को कुलपति, द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- (iv) कुल सचिव, प्रबंधन बोर्ड, शिक्षा परिषद् तथा आयोजना और निगरानी बोर्ड का पदेन सचिव होगा तथा इन्हें इनमें से किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं माना जाएगा।
- (v) कुल सचिव, सीधे कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उसके निदेशानुसार कार्य करेगा।
- (vi) कुल सचिव के निम्नवत कर्त्तव्य होंगे:-
 - (क) अभिलेखों तथा निधियों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थान की ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जैसा कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपा जाए;
 - (ख) सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकरणों की ओर से आधिकारिक पत्राचार करना;
 - (ग) सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकरणों तथा इन प्राधिकरणों द्वारा गठित सभी समितियों तथा उप—समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए नोटिस जारी करना;
 - (घ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के सभी प्राधिकरणों तथा इन प्राधिकरणों द्वारा गठित सभी समितियों तथा उप—समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का रखरखाव करना:
 - (ड.) सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करना;
 - (च) सम विश्वविद्यालय संस्थान के विरुद्ध तथा उसके द्वारा दायर मुकदमों तथा कार्यवाहियों में सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचन देना अथवा इस प्रयोजनार्थ उनके प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना;
 - (छ) सम विश्वविद्यालय संस्थान की ओर से करारों, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करना;
 - (ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के भवनों, उद्यानों, कार्यालयों, जलपान गृह, कारों तथा अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों, वाचनालयों, उपकरणों तथा अन्य सम्पत्तियों के संरक्षण तथा उनके रखरखाव हेतु व्यवस्था करना।
 - (झ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निवर्हन करना जैसाकि सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिन्हें समय—समय पर प्रबंधन बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा सौंपा जाए।

10.12.5 वित्त अधिकारी

- (i) वित्त अधिकारी, सम विश्वविद्यालय संस्थान का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (ii) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा विहित नियमों के अनुरूप होंगी।
- (iii) वित्त अधिकारी, कुलपति के निदेशों के तहत कार्य करेगा तथा कुलपति के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (iv) वह वित्त समिति तथा प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखने हेतु वार्षिक बजट, प्राक्कलन तथा लेखा विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (v) वह प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन, सम विश्वविद्यालय संस्थान की निधियों के प्रबंधन तथा निवेश के लिए उत्तरदायी होगा।

10.12.6 परीक्षा नियंत्रक

- (i) प्रबंधन बोर्ड द्वारा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी।
- (ii) परीक्षा नियंत्रण की परिलिध्धयां तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा यथा—विहित होंगी।
- (iii) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा तथा मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन बोर्ड, शिक्षा परिषद् तथा कुलपति के सभी विशिष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाए।
- (iv) परीक्षा नियंत्रक, शिक्षा परिषद् में स्थायी आमंत्रिती होगा।

10.12.7 संकाय अध्यक्ष

संबद्ध विषयों से जुड़े हुए विभागों को संकायों में समूहबद्ध किया जा सकता है, और प्रत्येक संकाय की अध्यक्षता, संकाय अध्यक्ष करेगा।

10.12.8 विभागाध्यक्ष

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे कुलपित द्वारा विभाग के आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा : बशर्ते कि, यदि विभाग में कोई आचार्य नहीं हो अथवा विभाग में केवल एक आचार्य हो जिसका विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, तो कुलपित किसी सह आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- (ii) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः ३ वर्ष का होगा और वह एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परंतु लगातार दो कार्यकालों के लिए पात्र नहीं होगा।
- (iii) विभागाध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्यकरण, सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा विहित नियमों के अनुरूप होंगी।
- 10.12.9 इन विनिमयों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सम विश्वविद्यालय संस्थान की अभिशासन प्रणाली तथा प्रबंधन ढांचा, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त सरकार के निर्णय के अनुरूप होगा।

11.0 प्रवेश तथा शुल्क का ढांचा

- 11.01 कोई भी सम विश्वविद्यालय संस्थान, किसी भी ऐसे संस्थान में किसी पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क तथा अन्य शुल्कों तथा प्रभारों के लिए कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा:—
 - (क) जो कि कैपिटेशन शुल्क अथवा दान, जिस भी नाम अथवा स्वरूप मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हो;
 - (ख) ऐसे प्रवेश हेतु ऐसे शुल्क अथवा प्रभारों के अलावा जिन्हें ऐसी किसी सीट के समक्ष प्रवेश हेतु प्रवेश प्रपत्र और संस्थान की वेबसाइट पर घोषित किया गया हो;
 - (ग) आयोग द्वारा जारी शुल्क संबंधी विनियम के अनुसार गठित शुल्क समिति द्वारा विहित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित करना।
 - (घ) ऐसे संस्थान में दाखिला पाने वाले छात्रों को ऐसे भुगतान के लिए लिखित में उपयुक्त रसीद जारी किए बिना।
- 11.02 (1) कोई भी सम विश्वविद्यालय संस्थान प्रवेश हेतु परीक्षाएं आयोजित करने के लिए संस्थान द्वारा व्यय की गई औचित्य पूर्ण राशि के अलावा प्रवेश परीक्षा हेतु किसी अन्य शुल्क को प्रभारित नहीं करेगा।
- (2) सम विश्वविद्यालय संस्थान, शुल्क के प्रतिदाय तथा मूल प्रमाणपत्रों को संस्थान द्वारा रखे जाने के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना का अनुपालन करेगा।
- 11.03 किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान, चाहे वह निजी हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का हो, में छात्रों का प्रवेश कड़ाई से उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विहित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यदि कोई प्रवेश परीक्षा विहित नहीं की गई हो, तो प्रवेश प्रपत्र में विनिर्दिष्ट पद्धित से प्रवेश दिया जाएगा।
- 11.04 प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान अभ्यर्थियों के चयन की संपूर्ण प्रक्रिया के सभी अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा अपनी वेबसाइट पर ऐसे अभिलखों को प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अभिलेखों को कम से कम पांच वर्षों के लिए अभिरक्षित करेगा।
- 11.05 प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान किसी पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ होने के साठ दिन पूर्व प्रवेश प्रपत्र को प्रकाशित करेगा तथा उसे अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा (शपथपत्र के स्वरूप में), जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत ब्योरा शामिल होगा :
- (i) ऐसे संस्थान में पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम जारी रखने हेतु प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा भुगतान किया जाने वाले शुल्क, जमा राशि तथा अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक का बयोरा तथा ऐसे भुगतान की अन्य निबंधन और शर्ते;

- (ii) यदि छात्र, पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम के पूर्ण होने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसे संस्थान से नाम वापस लेता है तो ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों के शिक्षण शुल्क तथा अन्य प्रतिदाय योग्य प्रभारों का प्रतिशत तथा प्रतिदाय की समय—सीमा, पद्धित जिसके माध्यम से छात्रों को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा का ब्योरा;
- (iii) शिक्षा वर्ष जिसके लिए प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में अनुमोदित सीटों की संख्या;
- (iv) जहां किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किन्ही अर्हता मानदंडों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो वहां संगत सांविधिक प्राधिकरण / निकाय अथवा संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता का ब्योराः
- (v) प्रवेश की प्रक्रिया तथा ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों का चयन, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम में चुनने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा का ब्योरा तथा प्रवेश परीक्षा के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क की राशि शामिल है, का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा:
- (vi) छात्रों द्वारा संस्थान के भीतर तथा परिसर के बाहर अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत अनुदेश, विशेषरूप से, ऐसे अनुशासन में किसी छात्र अथवा छात्रों की रैंगिंग को निषिद्ध करने तथा तत्संबंधी परिणामों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंधन करने के परिणामों का उल्लंख होगा।
- 11.06 कोई भी सम विश्वविद्यालय संस्थान प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रवेश हेतु विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र, अथवा डिग्री अथवा कोई अन्य अवार्ड के मूल प्रमाणपत्रों को अपने पास जमा नहीं करेगा, तथापि, वह मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनका विधिवत् सत्यापन कर छात्रों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित की गई प्रतियों को ही अपने अभिलेख स्वरूप ले सकता है।

120 सम विश्वविद्यालय संस्थान सभी के लिए खुला है

12.01 किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान में प्रवेश तथा नियोजन, भारत के सभी नागरिकों के लिए, नस्ल, धर्म, जाति व पंथ तथा देश में निवास के क्षेत्र / स्थान पर विचार किए बिना खुला होगा।

12.02 विश्वविद्यालय स्तर के निजी और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश तथा नियोजन के संबंध में सभी मामलों पर यथा लागू सभी नीतियां तथा प्रक्रियाएं, सम विश्वविद्यालय संस्थान की उपर्युक्त श्रेणी पर लागू होंगी।

13.0 सम विश्वविद्यालय संस्थान का एकात्म स्वरूप

किसी संस्थान को एक बार "सम विश्वविद्यालय संस्थान" घोषित किए जाने पर, इसका एकात्मक स्वरूप होगा तथा यह अन्य संस्थानों को संबद्ध नहीं करेगा न ही अन्य किसी घटक संस्थानों को शामिल करेगा।

14.0 आरक्षण नीति

सम विश्वविद्यालय संस्थान, भारत के संविधान अथवा वर्तमान में लागू संसद के किसी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप प्रवेश तथा भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करेगा तथा ऐसी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर उद्घटित करेगा।

१५.० दूरस्थ शिक्षा

सम विश्वविद्यालय संस्थान, समय समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 के अनुरूप मुक्त, दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं :

बशर्ते कि पहले ही आयोग के अनुमोदन से मुक्त, दूरस्थ शिक्षा / ऑनलाइन पद्धित के माध्यम से अध्ययन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सम विश्वविद्यालय संस्थानों को आयोग द्वारा आगे अनुमोदन प्रदान किए जाने के अध्यधीन ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमित होगी।

16.0 जांच करने की शक्ति तथा विनियम का उल्लंघन करने के परिणाम

16.01 जहां मंत्रालय अथवा आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत अथवा अन्यथा माध्यम से किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान को इस संबंध में नोटिस जारी करके ऐसी जानकारी के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करने के आदेश कर सकता है।

16.02 आयोग, किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी मामले के शैक्षिक निष्कर्षों के संबंध में जांच करने के प्रयोजनार्थ शिक्षा, प्रशासन और वित्त के मामलों में विशेषज्ञ किन्हीं विख्यात तथा सत्यनिष्ठ व्यक्तियों से जांच भी करवा सकता है।

16.03 जांच के आधार पर अथवा इन विनियमों में उल्लिखित नियमित निरीक्षण के माध्यम से, यदि कोई सरकार अथवा आयोग इस बात से संतुष्ट हो की इन विनियमों का उल्लंघन किया गया है, तो सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपना पक्ष रखने हेतु संस्थान को दिए गए औचित्यपूर्ण अवसर के पश्चात् संस्थान पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जैसी कि इन विनियमों में उपबंध किया गया हो।

16.04 जहां यह पाया जाता है कि सम विश्वविद्यालय संस्थान ने इन विनियमों के उपबंध(धीं) का उल्लंघन किया है, तो उस स्थिति में संस्थान के विरुद्ध निम्नवत एक अथवा एक से अधिक कार्रवाई/कार्रवाईयां की जा सकती हैं

क. उल्लंघन के परिणामस्वरूप अननुमोदित डिग्रियां जारी किया जानाः

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 के तहत दंड।
- (ii) एक सीमित अवधि के लिए नए पाठ्यक्रमों / अध्ययन कार्यक्रमों / विभाग(गों) तथा ऑफ कैम्पस(सों) / घटक संस्थान(नों) / ऑफ— शोर कैम्पसों के संदर्भ में किसी भी विस्तार को वर्जित करना।
- (iii) किसी सीमित अवधि अथवा शाश्वत रूप से किसी विशिष्ट पाट्यक्रम(मों) अथवा सभी पाट्यक्रमों में छात्रों के दाखिले की क्षमता को कम करना।
- (iv) किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम(मों) अथवा सभी पाठ्यक्रमों में सीमित अवधि अथवा शाश्वत रूप से छात्रों के प्रवेश को रोकना।
- (v) पाठ्यक्रमों / अध्ययन कार्यक्रमों / विभाग(गों) तथा ऑफ- कैम्पस(सों) / घटक संस्थान(नों) / ऑफ- शोर कैम्पसों को बंद करना।
- (vi) सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना को वापस लेना।
- ख. इन विनियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले उल्लंघनः
- (i) जहां आयोग द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में कोई किमयां पाई जाती हैं, आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान को एक युक्तिसंगत समय के भीतर उसे ठीक करने हेतु एक चेतावनी जारी करेगा; और, उक्त अविध के भीतर उपचारात्मक कार्रवाई न कर पाने से इन विनियमों के उपबंधों के तहत दंड दिया जाएगा:
 - बशर्ते कि सम विश्वविद्यालय संस्थान को दिया गया दंड छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।
- (ii) इस विनिमयों की संगत खंड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति को पदच्युत किया जा सकता है।
- (iii) इन विनियमों के उपबंघों का बार—बार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में खंड 16.05क में उल्लिखित कार्रवाई(यां) की जा सकती हैं।

17.0 पुराने विनियमों के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जाना

सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किए जाने, अथवा ऑफ कैम्पस केन्द्र अथवा ऑफ— शोर कैम्पस(सों) को स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने अथवा अन्य संस्थानों को सम विश्वविद्यालय संस्थान के दायरे में लाया जाने संबंधी सभी प्रस्ताव, जो या तो लंबित हों अथवा आयोग में संसाधित किए जाने की प्रक्रियाधीन हो, अथवा उन्हें इस विनियम की अधिसूचना की तिथि से पूर्व ही केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो, वे इन विनियमों द्वारा शासित होंगे:

बशर्तें यह कि यदि आवेदक ने इन विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया हो और यदि वह लिखकर अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उसके आवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत संसाधित किया जाए, तो सरकार अथवा आयोग, जैसा भी मामला हो, वह आवेदक से लिखित में एक वचनपत्र प्राप्त करेगा, कि वह इन विनियमों की अधिसूचित होने के दो वर्ष के भीतर इन विनियमों का अनुपालन करेगा, ऐसा नहीं करने पर सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा वापस ले लिया जाएगा, और आवेदक को इन विनियमों के तहत ऐसा दर्जा प्राप्त करने के लिए नए सिरं से आवेदन करना होगा।

18.0 निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान के लेखा बही का रखरखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर किया जाएगा न कि प्रायोजक निकाय अथवा किसी अन्य के नाम पर किया जाएगा; और, सम विश्वविद्यालय संस्थान के लेखा का रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा जैसा प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए तथा आयोग द्वारा विहित किए गए नियमों, यदि कोई हों तो, के अनुरूप किया जाएगा।
- (ii) सम विश्वविद्यालय संस्थान के खाते से प्रायोजित निकाय के खाते सहित किसी अन्य खाते में निधियों का विपथन नहीं किया जाएगा।
- (iii) सम विश्वविद्यालय संस्थान, अपने लेखों बहियों की वार्षिक रूप से और ऐसी अवधि पर लेखापरीक्षा करवाएगा जैसािक आयोग द्वारा विहित किया जाएगा, उसे पृथक रूप से प्रकाशित करवाएगा तथा संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाएगा। यदि ऐसे संस्थान को केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा इसकी एजेन्सियों से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है तो, ऐसे सम विश्वविद्यालय संस्थान के खाते की भारत के नियंत्रक— महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जा सकती है; सम विश्वविद्यालय संस्थान के खातों की, जब कभी आवश्यकता हो. आयोग द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
- (iv) वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखों की लेखापरीक्षा किसी योग्य पेशेवर से करवाई जाएगी, जोकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य अथवा अध्येता हो, जिसे सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाए :

बशर्ते कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के खाते से वित्तीय अनियमितता अथवा गबन अथवा अवैध विपथन; अथवा इन विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध शुल्क संग्रहण करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर, आयोग एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सम विश्वविद्यालय संस्थान को कारण बताने को कहा जाएगा कि शिकायत के संबंध में फॉिरिसिक लेखापरीक्षा सिहत निरीक्षण करने का आदेश क्यों न जारी किया जाए, तथा प्रतिवादी संस्थान को एक औचित्यपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाकर, आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि इस मामले में आगे कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, आयोग के दल द्वारा एक निरीक्षण करवाएगा साथ ही भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के योग्य सदस्य अथवा अध्येता से एक फॉिरिसिक लेखापरीक्षा करवाने के भी निदेश देगा; निरीक्षण दल और फॉिरिसिक लेखापरीक्षा, दोनों की रिपोर्ट पर एक साथ विचार कर आयोग द्वारा इन विनियमों के तहत, जैसा वह उचित समझेगा, कार्रवाई करेगा।

(v) सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

१९.० प्रकीर्ण

- (i) सम विश्वविद्यालय संस्थान कैम्पस / ऑफ कैम्पस / ऑफ-शोर कैम्पस / संघटक इकाई / संघटक संस्थान का नाम और उसकी अवस्थिति का उल्लेख डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अथवा नामांकित किसी छात्र को प्रदान की गई किसी अन्य उपाधि पर करेगा।
- (ii) सम विश्वविद्यालय संस्थान, शिक्षा कार्यक्रम की समाप्ति उपरांत, यथा संभव शीघ्र, और किसी भी स्थिति में इस प्रकार कार्यक्रम की समाप्ति की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के भीतर अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अथवा किसी अन्य उपाधि को प्रदान करेगा और छात्रों को उपलब्ध कराएगा।
- (iii) कोई भी सम विश्वविद्यालय संस्थान किसी भी समय किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के साथ ऑफ कैम्पस/ऑफ–शोर कैम्पस/ संघटक इकाई/ संघटक संस्थान/ पाठ्यक्रम/ अध्ययन कार्यक्रम,/ विभाग/ विद्यालय/ सम विश्वविद्यालय संस्थान का संकाय स्थापित करने, अनुरक्षण करने अथवा चलाने के लिए स्पष्टरूप से अथवा प्रच्छनरूप से कोई भी फ्रेंचाइजी करार अथवा व्यवस्था नहीं करेगा।
- (iv) जबिक, सरकार अथवा आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रायोजक निकायों अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त आवेदनों को विहित समय सीमा, यदि कोई हो तो, के भीतर निपटान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, तथापि, केवल समय सीमा लांघ जाने पर ही ऐसे आवेदनों को निपटाया गया नहीं मानना चाहिए; तथापि, यदि आवेदक चाहे तो, सरकार अथवा आयोग, जैसा भी मामला हो, को अनुस्मरण करवा सकता है।
- (v) सम विश्वविद्यालय संस्थान की आय तथा सम्पत्ति को पूर्ण रूप से सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जाएगा।
- (vi) आयोग को सरकार की किसी सार्वजनिक नीति अथवा वर्तमान में लागू किसी विधि के कार्यान्वयन के साथ साथ सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा किसी विधि अथवा नीति के उल्लंघन के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान को उपर्युक्त निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी।
- (vii) सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन को संसाधित करने के लिए किए गए सभी व्यय, ऑफ कैम्पस/ ऑफ-शोर कैम्पस/ संघटक संस्थान आदि आरंभ करने के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति द्वारा किए जाने वाले सभी निरीक्षणों हेतु किए जाने वाले सभी व्यय को आयोग द्वारा वहन किया जाएगा; और प्रायोजक निकाय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा आयोग के किसी निरीक्षण दल के दौरे पर अथवा उसके संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप में किया जाने वाला कोई भी व्यय, इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (viii) सम विश्वविद्यालय संस्थान की आय तथा सम्पत्ति के किसी भाग का लामांश, बोनस अथवा अन्यथा भुगतान अथवा अंतरण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों को लाभ के रूप में नहीं किया जाएगा जो किसी भी समय सम विश्वविद्यालय संस्थान के सदस्य रहे हों अथवा वर्तमान में सदस्य हों अथवा उनके माध्यम से ऐसा दावा करने वाले व्यक्तियों को नहीं किया जाएगा, बशर्तें कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई भी शर्त पारिश्रमिक के रूप में सद्भाव से किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सम विश्वविद्यालय संस्थान में की गई सेवा अथवा की गई यात्रा अथवा ऐसे अन्य भत्ते तथा ऐसे अन्य प्रभार के रूप में भुगतान करने से बाधित नहीं करेगी।
- (ix) सरकार के पास, आयोग के परामर्श से आशय पत्र अथवा अधिसूचना मेंऐसी अन्य शर्त(तैं) लगाने की शक्तियां होंगी जो इन विनियमों से सुसंगत नहीं होंगी, और यह सम विश्वविद्यालय संस्थान पर बाध्यकारी होंगी।
- (x) प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत मानकों का अनुपालन करने के लिए निम्नवत हेतु व्यवस्था करेंगे, नामतः
 - (क) रैगिंग रोधी प्रकोष्ट
 - (ख) भेदभाव रोधी प्रकोष्ठ
 - (ग) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ
 - (घ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
 - (ड.) योन उत्पीडन रोधी आंतरिक शिकायत समिति
 - (च) दिव्यांग जनो की सभी सुविधाओं तक अवरोध मुक्त पहुंच
- (xi) यदि कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान, 'सम विश्वविद्यालय संस्थान' का दर्जा त्यागना चाहे तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमित से ऐसा कर सकता है, इसी प्रकार सम विश्वविद्यालय संस्थान के क्षेत्राधिकार से सम विश्वविद्यालय संस्थान की किसी संघटक इकाई(यों) को हटाए जाने के लिए प्रायोजक निकाय को सरकार से पूर्व अनुमाति प्राप्त करना अपेक्षित होगा :

बशर्ते कि दर्जे को त्यागना अथवा वापस लेना, जैसा भी मामला हो, सम विश्वविद्यालय संस्थान अथवा इसकी किसी संघटक इकाई(यों), जैसा भी मामला हो, में नामांकित छात्रों के अंतिम बैच को अध्ययन कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अथवा डिग्री अवार्ड करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही प्रभावी होगा।

(xii) इन विनियमों के निवर्चन के संबंध में मत में विरोध होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

20.0 विधिक कार्यवाहियां

- (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 6 के प्रयोजनार्थ, व्यक्ति जिसके नाम पर सम विश्वविद्यालय संस्थान पर वाद चलाया जा सकता है वह कुल सचिव होगा, जिसे सम विश्वविद्यालय संस्थान की ओर से करार, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, अमिलेखों को अमिप्रमाणित करने की शक्तियां होंगी. और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसी कर्तव्यों का निवर्हन करेगा. जैसा कि इन विनियमों में विहित किया गया हो।
- (2) सरकार, अथवा आयोग, अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान, अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी अधिकारी, अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध इन विनियमों के अनुपालन में किया गया कोई कार्य अथवा तात्पर्यित हो अथवा आशयित हो, कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाहियां दायर नहीं की जा सकेंगी।

21. कठिनाइयों का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान पेश आने वाली कठिनाई/ कठिनाईयों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से निवारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

रजनीश जैन. सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 548 / 18]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

UGC [INSTITUTIONS DEEMED TO BE UNIVERSITIES] REGULATIONS, 2019

PREAMBLE

No. F. 1-2/2018 (CPP-I/DU).—To regulate, in an orderly manner, the process of declaration of institutions of academic excellence as Deemed to be Universities; and, further to maintain quality of higher education imparted by Institutions Deemed to be Universities consistent with the ideals of the concept of a University; the University Grants Commission, in exercise of powers conferred under clauses [f] & [g] of subsection [1] of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, hereby, makes the following Regulations namely:-

1.0 SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- 1.1 These Regulations may be called the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019.
- 1.2 These Regulations shall apply to every institution seeking declaration as an Institution Deemed to be University, as also, albeit prospectively, to an institution which has been declared as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 1.3 They shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette.
- 1.4 These Regulations shall replace the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

2.0 **DEFINITIONS**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- 2.01 "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 [Act 3 of 1956].
- 2.02 "Campus" means campus of the Institution Deemed to be University at its headquarters, wherein its major facilities, faculty, staff, students and its Academic Departments are located in a city /town / village in India; and includes all the campuses situated in the same territorial jurisdiction.
- 2.03 "Commission" means the University Grants Commission (UGC) constituted under the Act.

- 2.04 "Category" means the category of Institution Deemed to be University under the University Grants Commission (Categorization of Universities (only) for the Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018; and "Category I" and "Category II" shall be construed accordingly.
- 2.05 "Constituent Institution" means an institution operating under the administrative, academic and financial control of the sponsoring body and declared as such under the Notification.
- 2.06 "Constituent Unit" means unit(s) of the Institution existing on the date of submission of proposal to be declared as an Institution Deemed to be University.
- 2.07 "*De-novo* Institution" means an institution with the focus on teaching and research in unique and 'emerging areas of knowledge' so determined by the Commission after a due process,
- 2.08 "Emerging area of knowledge" in the context of *De-Novo* Institutions means such specialized/niche areas of knowledge which are considered desirable and useful and not usually imparted in the country.
- 2.09 "Expert Committee" means a Committee consisting of academics or other experts in the relevant fields of knowledge or practice to be nominated by Chairman of the Commission and include representatives of the Statutory bodies; and there may be as many Expert Committees as the Commission may determine for different purposes.
- 2.10 "Government", unless the context so specifies, means the Central Government in the Ministry of Human Resource Development allocated with business pertaining to higher education.
- 2.11 "Institution" means an institution of higher education engaged in teaching and research at the undergraduate, post-graduate or higher levels.
- 2.12 "Institution Deemed to be University" means an institution of higher education so declared, on the advice of the Commission, by the Government under Section 3 of the Act.
- 2.13 "Necessary Infrastructure" means infrastructure as required under the norms of concerned Statutory Body/Commission.
- 2.14 "Off-Campus centre" means a centre of the Institution Deemed to be University, approved by the Government and situated beyond its Campus within India.
- 2.15 "Off-Shore Campus" means a centre of the Institution Deemed to be University approved by the Government and situated beyond its campus outside India.
- 2.16 "Processing Fee" means the charges that have to be paid by the applicant institution to the Commission along with the application for processing such application.
- 2.17 "Notification" means a notification issued by the Government in the Official Gazette declaring an institution of higher education, as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the Act.
- 2.18 "Sponsoring body" means a body being a charitable or a not-for-profit Society or Trust or Company under Section 8 of Companies Act 2013 making an application for declaring an institution under its administrative, academic and financial control as a Deemed to be University.
- 2.19 "Statutory Body" means a body constituted under any law for the time being in force
 - for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education such as the All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), or any other such regulatory body established under an Act of Parliament.
- 2.20 "Teacher" means a member of the regular faculty at the levels of Professor, or Associate Professor or Assistant Professor, and includes adjunct faculty and faculty on a long-term contract of not less than three years.
- 2.21 "University" means a University defined in the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.22 "NAAC" means National Assessment and Accreditation Council.

- 2.23 "NBA" means National Board of Accreditation.
- 2.24 "NIRF" means National Institutional Ranking Framework.

3.0 OBJECTIVES OF AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

The objectives for which an institution is declared by the Government as an

Institution Deemed to be University shall be:

- 3.01 To provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit, primarily at undergraduate, at post-graduate and research degree levels, fully conforming to the concept of University as defined herein.
- 3.02 To engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the higher education system in diverse disciplines.
- 3.03 To provide for high quality teaching and research recognized nationally and globally.

4.0 ELIGIBILITY CRITERIA FOR AN INSTITUTION TO BE DECLARED AS AN

INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

- 4.01 An institution applying to be declared as an Institution Deemed to be University shall have to meet the following stipulations:
 - i. Has been in existence for not less than 20(twenty) years,
 - ii. Has, at the time of application, valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with at least 3.26 CGPA for three consecutive cycles OR if in case of technical institution, two-third of the eligible technical programmes accredited by the National Board of Accreditation (NBA).
 - iii. Should be at the time of application, figure among the top 50 (Fifty) ranks in any specific category or among the top 100 (Hundred) of overall ranking of National Institute Ranking Framework (NIRF).
 - iv. Has demonstrated the characteristics of a university through multi-disciplinary courses,
 - v. The annual per faculty publications in SCOPUS, Web of Science or peer-reviewed journals of acceptable quality as per the UGC Reference List of Quality Journals shall not be less than 2 (two).
 - vi. The teacher student ratio shall not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 100 (Hundred) teachers and a minimum of 2,000 students on its rolls under the regular class-room mode, of which not less than one third being postgraduate/research students; and at least 5 Post Graduate Departments in existence for at least 3 years with research programmes.
 - vii. Shall possess such academic and physical infrastructure as may be prescribed by the Commission and/or the relevant statutory bodies.
 - viii. Shall have a built up area of not less than 30 sq.mts. per student which shall include academic (academic buildings, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities.

4.02 **Corpus Fund:**

- i) In the case of Institutions not maintained or financed by the Government a Corpus Fund of Rs.10 Crore for an existing institution and Rs.25 Crore for a de-novo institution, shall be created and maintained permanently in the name of the proposed Institution Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities or other forms approved by the Commission.
- ii) The interest accrued on the Corpus Fund shall be used only for the purpose of development of the Institution Deemed to be University.

4.03 Governance Structure

The Governance structure of the proposed Institution Deemed to be University shall be as per Clause 10.0 of these Regulations.

5.0 PROCEDURE FOR DECLARATION OF AN INSTITUTION AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE A UNIVERSITY

- 5.01 An institution, fulfilling the minimum eligibility criteria as laid down in these Regulations for considering proposals for declaration as an Institution Deemed to be University, may apply 'online' to the Commission on its web portal developed for this purpose, and under intimation to the Government.
- 5.02. The following documents shall be uploaded in the online application, failing which, the online system shall not accept the application:
 - i. Land ownership documents in the name of the Institution Deemed to be University or the sponsoring body.
 - ii. Certificates regarding NAAC/NBA accreditation
 - iii. Approval of the relevant statutory bodies for the professional courses which are currently being run.
 - iv. Information along with evidence regarding the existing academic and physical infrastructure.
 - v. Institution Development Plan consisting of the strategic vision for a 5-year period next, along with a rolling plan of its implementation covering academic, research, infrastructural, financial and governance plans.
 - vi. Details of the corpus fund created, and details of the financial sustainability of the institution.
 - vii. In case of institutions which are funded by the State/Central Government, a letter of commitment from the respective Government to continue financial support to the institution even after declaration as a Deemed to be University.
 - viii. Copies of the documents uploaded on the Commission's web portal shall also be publicly disclosed on the website of the institution, duly certified by the Head of the institution. Any information found to be false after due verification shall be liable for criminal prosecution under the Indian Penal Code, 1860, as amended from time to time.
- 5.03 The Commission shall verify the documents submitted in the application with the concerned public authorities to ascertain their accuracy.
- 5.04 The Commission shall examine the application; with the help of an Expert Committee nominated to evaluate the Institution Development Plan to assess the existing academic and physical standards and submit its advice to the Government within sixty days from the date of online application.
- 5.05 Taking into consideration the advice of the Commission, the Government may, ordinarily within thirty days of receipt of the advice of the Commission, either issue a notification under Section 3 of the Act, declaring such institution as an Institution Deemed to be University for an initial period of five years; or, if the proposal is not agreed upon, convey its decision in writing to the Sponsoring body along with the reasons thereof. The decision of the Government shall be final.
- 5.06 In case of institutions declared as institutions Deemed to be universities as per section 3 of the Act, the University/ies which had hitherto granted affiliation to such institutions, shall transfer the credits and the transcripts of students who are enrolled and studying in the said institution, within thirty days of such declaration. The existing students may get the degree from the affiliating University or Deemed to be University as per preference of the student. The newly admitted students shall get degree of Deemed to be University.
- 6.04 PROCEDURE FOR DECLARATION OF AN INSTITUTION AS DEEMED TO BE UNIVERSITY UNDER DE-NOVO CATEGORY:-
- 6.04.1 Any Sponsoring body, with a proven track record in education, can submit an application online to the Commission under intimation to the Government, for setting up a new Institution Deemed to be

University devoted to study and research in unique and emerging areas of knowledge not being pursued by existing institutions.

However, institutions of Central/State/UT Government applying under this category shall be given exemption from Clause 4.01 of these Regulations provided they address the strategic needs of the country and/or, engaged in preservation of cultural heritage.

- 6.04.2 Any Sponsoring body shall submit the application consisting of the following:
 - (a) A Detailed Project Report (DPR) containing its fifteen year detailed Strategic Vision Plan and a five year rolling implementation plan viz. Academic Plan, Faculty Recruitment Plan, Students Admission Plan, Research Plan, Networking Plan, Infrastructure development Plan, Finance Plan, Administrative Plan, Governance Plan, etc, with clear annual milestones and action plans on how the new Institution Deemed to be University is to be set up, with identifiable outputs and outcomes;
 - (b) Details of the land in possession for establishing the institution along with the title documents;
 - (c) Details of the corpus fund created, and details of the financial sustainability of the institution;
 - (d) Details of the sponsoring body, along with the details of the key academic and administrative personnel;
 - (e) An undertaking to the effect that it shall abide by all provisions of these Regulations.
 - (f) In case of institutions of Central/State/UT Government, a letter of commitment from the respective Government to continue financial support to the institution even after declaration as an Institution Deemed to be University.
- 6.04.3 The Commission shall refer the application for examination to an Expert Committee, and the Committee may direct the applicant institution to make a presentation to demonstrate whether or not the institution falls under de-novo category and whether the Detailed Project Report is in accordance with these Regulations. If necessary, the Committee may prefer to visit the applicant institution before submitting its report.
- 6.04.4 The Expert Committee shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it, by way of recommendation on whether or not the Letter of Intent ought to be issued, and in the event of recommending that a Letter of Intent be issued, whether the same shall be with or without any additional conditions along with reasons for imposing or not imposing such conditions.
- 6.04.5 The Commission shall forward its advice to the Government within thirty days from the date of receiving the report of the Expert Committee; and thereafter, the Government shall, having taken into consideration the advice of the Commission, usually within a further period of thirty days, either issue a Letter of Intent valid for a period of three years or reject the proposal stating reasons thereto.
- 6.04.6 The Sponsoring body shall submit a report of compliance in respect of the conditions mentioned in the Letter of Intent within a period of three years to the Government, which shall be forwarded to the Commission for its verification and advice and the Government shall take further steps following the procedure mentioned in Clause 5 of these Regulations.

OFF-CAMPUS CENTRE(S):

- 7.01 Institutions Deemed to be Universities in Category-I & Category-II or ranked from 1-50 in the "Universities" category of current NIRF ranking shall be permitted to start new Off-Campus Centre(s), following the procedure mentioned hereunder:
- 7.01.1 Institutions Deemed to be Universities in Category-I & Category-II or ranked from 1-50 in the "Universities" category of current NIRF ranking shall submit their application to the Government by way of an Affidavit in the prescribed proforma for approval to start an Off-Campus Centre or, for issuance of Letter of Intent for setting up an Off-Campus Centre, as the case may be.

- 7.01.2 The Government, after such preliminary scrutiny as it may deem fit, of the application containing details of existing or proposed infrastructure facilities, Courses/Programmes of study, Students intake, financing arrangements, shall forward to the application to the Commission for its advice. The Institutions applying for Off-Campus Centre(s), shall have to meet the following stipulations:
 - (i) The teacher student ratio shall not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 25 (twenty five) teachers and a minimum of 500 students on its rolls under the regular class-room mode, of which not less than one third being postgraduate/research students; and at least 3 Post Graduate Departments with research programmes.
 - (ii) Shall possess such academic and physical infrastructure as may be prescribed by the Commission and/or the relevant statutory bodies.
 - (iii) Shall have a built up area of not less than 30 sq. mts. per student which shall include academic (academic buildings, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities.
- 7.01.3 In respect of Institutions Deemed to be Universities in Category -I or ranked from 1-50 in the "Universities" category of current NIRF ranking, there shall be no requirement of physical inspection. The Chairman of the Commission may constitute a Standing Committee to undertake examination of the information furnished by the Institution. The Chairman, on behalf of the Commission, shall forward the advice to the Government within thirty days on receipt of the application taking into consideration the observations of Standing Committee. Category-I Institutions Deemed to be Universities or ranked from 1-50 in the "Universities" category of current NIRF ranking can establish only three off-campuses in a period of five years provided that not more than one campus can be established in one academic year. These off-campuses shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government.
- 7.01.4 In respect of Institutions Deemed to be Universities in Category-II, the information provided with the application may be assessed and verified by an Expert Committee, constituted for the purpose by the Commission. The Chairman, on behalf of the Commission, shall forward the advice to the Government within sixty days on receipt of the application taking into consideration the observations of Expert Committee. Category- II Institutions Deemed to be Universities can establish only two off-campuses in a period of five years provided that not more than one campus can be established in one academic year. These off-campuses shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government.
- 7.01.5 The Government shall, after taking into consideration the advice of the Commission, ordinarily within a further period of fifteen days from the date of receipt of such advice, either issue a notification for starting of off-campus centre(s) or, as the case may be, a Letter of Intent for setting up of new off-Campus centre(s) or reject the proposal stating the reasons thereto. The decision of the Government shall be final and binding.
- 7.01.6 If at any time, the information provided by the applicant Institute is found to be incorrect, the Government may withdraw the approval for starting the off-Campus centre; and in order to protect the interests of students enrolled at such centre, the Institution shall be asked to seek affiliation of the Off-Campus centre to the State/ Central University having territorial jurisdiction. Any information found to be false after due verification shall be liable for criminal prosecution under the Indian Penal Code, 1860, as amended from time to time.

Off-shore Campus:

- 7.02 Institutions Deemed to be Universities in Category-I shall be allowed to start new Off-Shore Campuses with the prior approval of the Ministry of Human Resource Development after receiving NOC from Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs. Institutions Deemed to be Universities shall maintain the standards similar to their main campus and shall follow similar admission criteria,
 - curriculum, examination system and evaluation system. All the information about off-shore campus shall be disclosed on the website of the Institution Deemed to be University.
- 7.03 Existing Off-Shore campus will continue to operate provided they have obtained due permissions.

8.0 STARTING OF NEW COURSE(S)/PROGRAMME(S)/DEPARTMENT(S)/ SCHOOL(S)/FACULTY(IES) IN THE CAMPUS OR APPROVED OFF-CAMPUS CENTRES OF AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

8.01 Institutions Deemed to be universities in Category-I, Category-II or institutions from 1-50 in "university" category of NIRF ranking may start new Course(s) /Programme(s) /Department(s) / School(s) /Faculty(ies) in any field in their existing campus and approved off-Campus centre(s), with the prior approval of its Board of Management and, also where applicable, the relevant Statutory bodies. Such Institutions shall inform the Commission about starting of a new course/ programme/ department/ school/ centre in its existing main campus and approved off-campus within one month of the grant of approval by the Board of Management of the Deemed to be University and concerned Statutory bodies.

Provided that where the Institutions Deemed to be Universities in receipt of grants in aid or other funds for maintenance from the Central Government or the State Government or its Agencies, prior approval of the appropriate Government shall also be required.

8.02. Institutions Deemed to be universities, other than those referred to in clause 8.01 herein above, shall start new Course(s)/Programme(s) /Department(s) /School(s)/Faculty(ies) in allied field only in their existing Campus and approved off-Campus centre(s) only after obtaining permission from its Board of Management and, also where applicable, the relevant Statutory bodies. In case of starting of new Course(s)/ Programme(s)/ Department(s) / School(s) / Faculty(ies) in other than allied fields, prior approval of the Commission shall be required in addition to approval from the relevant statutory bodies. The Commission shall convey its decision either for approval or rejection as the case may be, within sixty days of receipt of the application from the institution.

9.0 MONITORING THE PERFORMANCE OF DEEMED TO BE UNIVERSITIES

- 9.01 It shall be the responsibility of the Commission to monitor, annually, the performance and academic outcomes of all institutions Deemed to be universities, based on public disclosures on performance parameters, namely:
 - a) The graduate outcomes shall be such that a minimum of 50% of the graduating students secure access to employment/self-employment or engage themselves in pursuit of higher education;
 - b) Promote linkage of the students with the society/industry such that at least two-third of the students engage in socially productive activities during their period of study in the institutions;
 - c) Train the students in essential professional skills such as team-work, communication skills, leadership skills, time-management skills, soft skills, etc; and inculcate a spirit of innovation/entrepreneurship and critical thinking among the students and promote avenues for display of these talents;
 - d) The teacher student ratio shall not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 100 (Hundred) teachers and a minimum of 2,000 students on its rolls under the regular class-room mode, and ensure that not more than 10% of the sanctioned posts of teachers is vacant at any point of time;
 - e) Conduct induction programmes for students;
 - f) Adopt Learning-outcome based curriculum framework(LOCF)and revise curriculum at regular intervals;
 - g) Use Information Communication Technology (ICT) based learning tools for effective teaching-learning processes;
 - h) Choice Based Credit System (CBCS), Academic flexibility for interdisciplinary learning
 - i) Examination Reforms to ensure that the student assessment is based on understanding of the concepts, and application thereof;
 - j) Ensure that at least half of the students passing out appear for examinations such as GATE/JAM/UGC-NET, and at least half of those appearing qualify;

- k) Tracking of the student progress after completion of course;
- 1) Ensure that all new teachers, immediately after recruitment, are put through an induction course imparting pedagogical aspects;
- m) All existing teachers shall be placed through an annual refresher training;
- n) Compulsory participation in the NIRF ranking;
- o) National level merit-based admission process.
- Effective implementation of measures for quality improvement as per the quality mandate of UGC.
- q) To ensure not to start or run any professional courses governed by specific Acts of parliament, except with the prior and specific approval of the authority constituted thereunder as well as in conformity with the Clause 8 of these Regulations.
- r) To submit the type of courses those are being offered latest by 30th April every year. The details to be provided are year, department, courses offered, whether the course is professional or general, approval of the statutory council, approval of the UGC, student intake, actual number of students enrolled, etc
- s) To adhere to these regulations and other rules / regulations/ directions issued by the UGC and relevant statutory bodies from time to time.
- t) Every year on completion of the admissions, the Deemed to be University shall upload all the data on its website.
- 9.02. The Commission shall decide on the physical verification of an Institution Deemed to be University, or constitute teams for such verification only on receipt of complaints against the accuracy and veracity of the information placed on the website of the institution in respect of the parameters referred to in clause 9.01.

10.0 SYSTEM OF INSTITUTIONAL GOVERNANCE

10.01 The proposed/existing Institution Deemed to be University shall be registered as a not-for-profit Society under the Societies Registration Act, 1860 or as a not-for-profit Trust under the Public Trust Act, or as a not-for-profit company under section 8 of the Companies Act, 2013.

Provided that a sponsoring body exclusively established for running educational institutions shall be exempted from registering as a separate not-for-profit Society /Trust /Company for the Deemed to be University. However, the sponsoring body shall categorically mention in its Registration Deed that the sponsoring body is exclusively for running educational activities and no other activities are being carried out or shall be carried out in future under it.

Provided further that if the sponsoring body of an existing Institution Deemed to be University does not have a Society /Trust /Company exclusively for running educational institutions, it shall form a new not for profit Society / Trust /Company for the Deemed to be University. In such cases, the sponsoring body shall be exempted from transferring of its moveable and immoveable assets to the newly created Society/Trust/Company, if such sponsoring body provides Notarized Affidavit to the effect that the entire moveable and immoveable assets allocated to the Institution Deemed to be University shall not be leased or otherwise disposed off without the prior permission of the Commission, and also that all expansion in the future shall be undertaken by the Society /Trust /Company exclusively established for Deemed to be University.

Provided also that the sponsoring body shall make available the infrastructure for operating the Institution Deemed to be University without any rental or other such charges.

10.02 All moveable and immoveable assets of the institutions shall be used only for the purpose of conducting academic activities, promotion of research and related administrative requirements of the Institution Deemed to be University.

- 10.03 The highest governing body of the Institution Deemed to be University shall be a Board of Management to be headed by the Vice Chancellor, and consisting of not less than 10 and not more than 15 members.
- 10.04 The Board of Management of the institution shall be independent of the sponsoring body with full autonomy to discharge its academic and administrative responsibilities.
- 10.05 The composition of Board of Management shall be as under:
 - i) Vice-Chancellor......Chairperson;
 - ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable),
 - iii) Two Deans of Faculties of the Institution Deemed to be University, to be appointed by rotation based on inter-se seniority;
 - iv) Three eminent academics, who shall have functioned at the rank of Professor, to be appointed by the Chancellor from among persons unconnected with the Institution Deemed to be University as well as the Sponsoring body;
 - v) One representative of the Central Government or the State Government, as the case may be, where the Institution Deemed to be University is controlled and managed by such Government or is receiving grants directly or indirectly of a minimum of 50% of the average expenditure of three previous years, who shall be an eminent academic not below the rank of Professor in respect of all other institutions Deemed to be universities, the UGC shall nominate a representative from a panel of names selected through a process approved by the Commission;
 - vi) Two teachers of the Institution Deemed to be University, one each from among the cadres of Professors and Associate Professors, to be appointed by rotation based on inter-se seniority;
 - vii) Nominees of the Sponsoring body, not exceeding Four in number;
 - viii) The Registrar, who shall be ex officio Secretary of the Board of Management.

10.06 Tenure of the members of the Board of Management

- 10.06.1 All the members of the Board of Management, other than the ex-officio members and teachers, shall hold office for a term of three years from the date of first appointment and shall be eligible for reappointment.
- 10.06.2 Members of the Board of Management appointed from among teachers shall hold office for a period of two years or till such time as they cease to be teachers of the Institution Deemed to be University, whichever is earlier.

10.07 Powers and Limitations of the Board of Management

- 10.07.1 The Board of Management shall be the principal organ of management and the apex executive body of the Institution Deemed to be University, with powers to make rules of the Institution Deemed to be University.
- 10.07.2 The Board of Management shall be the final decision making body of the Institute in respect of every matter of the Institution Deemed to be University, including in the academic, administrative, personnel, financial, developmental matters.
- 10.07.3 The Board of Management shall not infringe upon the powers of the respective authorities provided under these Regulations; and where any authority has been given advisory /recommendatory powers, the Board of Management shall obtain advice /recommendations from such authority, before deciding on any matter before it.

10.08 Meetings of the Board of Management:

i. The Board of Management shall meet at least four times a year, with not less than 15 days' notice being given before every meeting of the Board of

Management.

- ii. Attendance by more than one-half of the total number of members of Board of Management shall form the quorum for a meeting.
- iii. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor shall preside over the meeting; and where there be no Pro Vice Chancellor in an Institution Deemed to be University, a member chosen by the other members present, shall preside over the meeting.
- iv. Every member of the Board of Management, including its Chairperson, shall have one vote and decisions at the meetings of the Board shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.
- v. Any business, which it may be necessary for the Board of Management to perform, may be carried out by circulation amongst its members.
- vi. A copy of the proceedings of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the Institution Deemed to be University as soon as maybe possible after the meeting.

10.09 Termination of Membership

If a member other than the Vice- Chancellor, and those representing the teachers, accepts a fulltime appointment in the Institution Deemed to be University or does not attend three consecutive meetings of the Board of Management, without proper leave of absence, such member shall cease to be a member of the Board of Management.

10.10 Delegation of Powers of the Board of Management

The Board of Management may, by a resolution, delegate to the Vice Chancellor or any other officer/faculty or to a Committee of officers/faculties of the Institution Deemed to be University, such powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice Chancellor or the officer/faculty, or the Committee in the exercise of the powers so delegated, shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

10.11 Other Authorities of the Institution Deemed to be University

10.11.1 Academic Council

A. The Academic Council shall be the principal academic body of the Institution Deemed to be University and shall, subject to the provision of the Rules, have the control over, and be responsible for, the maintenance of standards of teaching, research and training, approval of syllabus, co-ordination of research activities,

examinations and tests conducted by the Institution Deemed to be University; and shall exercise such powers and perform such other duties and functions as may be prescribed or conferred upon it by the Rules of the institution. The composition of the Academic Council shall be as under:

- i. Vice Chancellor Chairperson;
- ii. Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
- iii. Dean(s) of Faculties;
- iv. Heads of the Departments;
- v. Ten Professors, other than the Heads of the Departments, by rotation based on inter-se seniority;
- vi. Two Associate Professors from the Departments, other than the Heads of the Departments, by rotation based on inter-se seniority;
- vii. Two Assistant Professors from the Departments by rotation based on inter-se seniority;
- viii. Three persons from amongst educationists of repute or persons from any other field related to the activities of the Institution Deemed to be University who are not in the service of the Institution Deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor;
 - ix. Three persons who are not teachers, co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge

x. The Registrar, who shall be ex officio the Secretary of the Academic Council

Note: The representation of different categories shall be only through rotation and not through election. The term of members, other than the *ex-officio* members, shall be two years. The Controller of Examination shall be the permanent invitee to the meetings of the Academic Council.

B. **Powers and Functions of the Academic Council:** The Academic Council shall have

the following powers and duties, namely:-

- i. To consider matters of academic interest either on its own initiative or at the instance of the Board of Management or those proposed by the departments/ faculties and to take appropriate action thereon;
- ii. To exercise general supervision over all academic work of the institution Deemed to be University and to give direction regarding methods of instruction, evaluation, and improvements in academic standards;
- iii. To promote research within the Institution Deemed to be University, and to acquire reports on such researches from time to time;
- To prescribe courses /programmes of study leading to degree and diploma of the Institution Deemed to be University;
- v. To make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the Bye-Laws;
- vi. To appoint examiners, moderators, tabulators and such other personnel for different examinations;
- vii. To maintain proper standards of the examinations;
- viii. To recognize diplomas and degrees of universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the institutions Deemed to be University;
- ix. To suggest measures for departmental co-ordination;
- x. To make recommendations to the Board of Management on:
 - a) measures for improvement of standards of teaching research and training;
 - b) institution of Fellowships, Travel Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes etc.;
 - to recommend to the Board of Management, the establishment or abolition of departments/centres; and
 - d) To frame rules covering the academic functioning of the institution Deemed to be University, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence etc.
- xi. To appoint sub-committees to advise on such specific matters as may be referred to it by the Board of Management;
- xii. To consider the recommendations of the sub-committees and to take such action as the circumstances of each case may require;
- xiii. To take periodical review of the activities of the departments/centres and to take appropriate action with a view to maintaining and improving standards of instruction;
- xiv. To recommend institution of teaching posts (Professors, Associate Professors and Assistant Professors) to the Board of Management; and
- xv. To exercise such other powers, and to perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by the Rules.

C. Meeting of the Academic Council

- i. The Academic Council shall meet as often as may be necessary but not less than three times during an academic year with not less than 15 days' notice being given before every meeting of the Academic Council.
- ii. One third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.
- iii. Each member, including its Chairman, shall have one vote and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- iv. Any business, which it may be necessary for the Academic Council to perform, except such as may be placed before its meeting, may be carried out by circulation of the resolution.

10.11.2 Planning & Monitoring Board:

- i. The Planning & Monitoring Board shall be the principal Planning Body of the institution Deemed to be University and shall be responsible for the monitoring of the development programmes of the Institution Deemed to be University.
- ii. The Vice-Chancellor and the Registrar shall be the Chairman and the Secretary, respectively, of the Planning & Monitoring Board, which may include seven members, internal to the Institution Deemed to be University, and three experts of eminence from outside the institution.
- iii. The constitution, powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be prescribed by the Rules.
- iv. The Planning & Monitoring Board shall have the right to advise the Board of Management and the Academic Council on any matter which it considers necessary for the fulfillment of the objectives of the Institution Deemed to be University.
- v. The recommendations of the Planning & Monitoring Board shall be placed before the Board of Management for consideration and approval.

10.11.3 Finance Committee

- A. The composition of Finance Committee shall be as under:
 - i. Vice Chancellor Chairperson;
 - ii. Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
 - iii. One person nominated by the Society/Trust/Company;
 - iv. Two nominees of the Board of Management, one of whom shall be a member of the Board;
 - v. One representative of Central Government not below the rank of Joint Secretary or his representative to the Government of India, in case the institution is controlled and managed by Central Government or is receiving grants more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year account) from the Central Government directly or through its Agencies; and in all other institutions Deemed to be universities, the Commission shall nominate a representative from a panel of names selected through a process approved by the Commission;
 - vi. One representative of the State Government, in case the Institution Deemed to be University is receiving grants from the State Government;
 - vii. Finance Officer- Secretary ex officio

B. Tenure of members of the Finance Committee:

All members of the Finance Committee other than ex-officio members shall hold office for a term of three years from the date of first appointment.

C. Powers and Functions of the Finance Committee:

- i. To consider the annual accounts and financial estimates of the Institution Deemed to be University and to submit them to the Board of the Management for its approval;
- ii. To consider and recommend the annual budget and revised estimates to the Board of Management;
- iii. To fix limits on the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of each year based on the income and resources of the Institution Deemed to be University.

Note: No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the Institution Deemed to be University without the approval of the Finance Committee.

D. Meetings of the Finance Committee:

The Finance Committee shall meet at least twice a year to examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure. Four members shall constitute the quorum for the meeting.

10.11.4 Board of Studies:

There shall be one Board of Studies for each Department of the Institution Deemed to be University. The composition of Board of Studies of each faculty/ Department shall be as under:

- i. Dean of faculty/ Head of the Department Chairperson;
- ii. All Professors of the faculty/ Department;
- iii. Two Associate Professors of the faculty/ Department by rotation based on inter-se seniority;
- iv. Two Assistant Professors of the faculty/Department by rotation based on inter-se seniority;
- v. Not more than 2 persons to be co-opted for their expert knowledge including those belonging to the profession or industry concerned.

Note: The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Rules of the Institution Deemed to be University.

10.11.5 **Selection Committee:**

- i. There shall be one or more Selection Committees constituted, for making recommendations to the Board of Management for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed, in accordance with the UGC Regulations (on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education), 2018, as amended from time to time.
- ii. The meetings of the Selection Committees shall be convened, as and when necessary, by the Chairperson of each Selection Committee.
- iii. Four members of the Selection Committee, of which at least two shall be experts, shall form the quorum.

10.11.6 Miscellaneous matters pertaining to different authorities of the Institution Deemed to be University

- i. If any question arises, as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is, entitled to be a member of any authority or any committee of the Institution Deemed to be University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.
- ii. Any member, other than an ex-officio member of any authority, may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairperson of the Board of Management, as the case may be.
- iii. Sudden vacancies among the members of any authority or any Committee of the Institution Deemed to be University shall be filled by the respective authority, as soon as may be, and within a period of six months.

- iv. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities of the Institution Deemed to be University:
 - a) if he/she is of unsound mind
 - b) if he/she is an un-discharged insolvent
 - c) if he/she has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude.
 - d) if he/she has not been appointed as per the provisions of these Regulations.

Note: If any question arises as to whether a person is or has been subjected to any disqualifications mentioned above, the question shall be referred for decision to the Chancellor, whose decision shall be final and binding.

10.12 Officers of the Institution Deemed to be University:

10.12.1 Chancellor & Pro Chancellor

- i. The Institution Deemed to be University shall have a Chancellor who shall, when present, preside over the convocations of the Institution Deemed to be University but shall not be the Chief Executive Officer.
- ii. The Chancellor, who shall be appointed by the sponsoring body, shall hold office for a period of 5 years from the date of first assuming office, and shall be eligible for reappointment for one more term
- iii. Where power is conferred upon the Chancellor to nominate persons to authorities, he/she shall, to the extent necessary, nominate persons to represent the various interests for the furtherance of the objectives of the Institutions Deemed to be University.
- iv. **Pro-Chancellor**: The Sponsoring body of the Institution Deemed to be University may also appoint a person as a Pro Chancellor, whose role would be limited to carrying out the tasks assigned to the Chancellor in these Regulations, when the latter is not available for carrying out the same. The Pro Chancellor, if so appointed, shall hold office for a period co-terminus with that of the Chancellor.

10.12.2 Vice-Chancellor

- A. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of Institution Deemed to be University, and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee.
- B. The qualifications of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the UGC Regulations (on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education), 2018, as amended from time to time.
- C. The procedure/composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for selection of Vice-Chancellor shall be as under:
 - i. Where control of the management of an Institution Deemed to be University is with the Central Government or the State Government, the Vice-Chancellor shall be appointed in accordance with the procedure laid down by the Central Government or the State Government, as the case may be.
 - ii. Where the financial assistance, by way of grants in aid or otherwise, to the Institution Deemed to be University by the Central Government or by its Agencies is more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year accounts) the composition of Search-cum-Selection-Committee shall be as under:
 - a) A nominee of Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the Committee;
 - b) A nominee of the Central Government, who shall be an academic of eminence; and,

- c) An academician, with not less than 10 years service as Professor, nominated by the Board of Management
- iii. Where the financial assistance, by way of grants in aid or otherwise, is less than 50% of its expenditure (based on average of previous three year accounts), the composition of Search-cum-Selection Committee shall be as under:
 - A nominee of the Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the Committee
 - b) A nominee of the Chairman, University Grants Commission
 - c) An academician, with not less than 10 year service as Professor, nominated by the Board of Management

D. Tenure of Vice-Chancellor:

i. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 5 years from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for a second term;

Provided that in no case shall the person appointed as Vice Chancellor hold office beyond the age of 70 years;

Provided further that notwithstanding the expiry of the period of 5 years, the Vice Chancellor may continue in office for not more than six months or till the successor is appointed and the latter assumes office, whichever, is earlier.

ii. Where the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to death, resignation or otherwise and in case of his/her absence due to illness or any other cause, the Pro Vice-Chancellor, and in his/her absence, the Senior most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is appointed, or the existing Vice-Chancellor resumes duties, as the case may be.

E. Powers of the Vice-Chancellor

- i. The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer of the Institution Deemed to be University and shall exercise general supervision and control over its affairs, and shall be mainly responsible for implementation of the decisions of all its authorities.
- ii. The Vice-Chancellor shall be the Ex-officio Chairperson of the Board of Management, the Academic Council, the Finance Committee, the Planning & Monitoring Board and Selection Committees.
- iii. The Vice-Chancellor shall have the power to convene, or cause to be convened, meeting of the various authorities of the Institution Deemed to be University.
- iv. The Vice-Chancellor may, if he/ she is of the opinion that immediate action is called for on any matter, exercise any power conferred upon any authority of the Institution Deemed to be University under these Regulations and Rules of the Institution Deemed to be University, and take such action, or proceed to take such action, and shall report to the authority concerned on the action taken by him/her on such matters.

Provided that if the relevant authority mentioned in Clause (ii) herein above is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that if any person in the service of the Institution Deemed to be University is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellorunder the said Clause, he/she shall have the right to appeal against such decision to the Board of Management within 30 days from the date on which such action is communicated to him/her and thereupon the Board of Management shall call the matter in a subsequent meeting and may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- v. It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that these Regulations and Rules of the Institution Deemed to be University are duly observed and implemented; and, he/she shall have all the necessary powers in this regard.
- vi. All powers relating to the proper maintenance and discipline of the Institution Deemed to be University shall be vested in the Vice-Chancellor.
- vii. The Vice-Chancellor shall exercise all other powers as may be delegated to him/her by the Board of Management.
- viii. The Vice-Chancellor shall have the power to re-delegate some of his/her powers to any of his/her subordinate officers with the concurrence and approval of the Board of Management.
- ix. The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by these Regulations, Rules and Bye-Laws of the Institution Deemed to be University.

E. Removal of Vice-Chancellor

- i. Where the there are reasons to believe that the Vice-Chancellor of an Institution Deemed to be University does not possess the qualification as required under these Regulations and also under the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018, as amended from time to time or is not appointed as per the procedure stipulated in these Regulations or has committed any financial/administrative impropriety, the Chairman of Commission shall constitute a committee consisting of academic, administrative or financial experts to enquire into the matter.
- ii. Where the report of the Enquiry Committee confirms the ineligibility, or procedural violations, or impropriety, as the case may be, the Commission shall direct the Chancellor to remove the Vice Chancellor after following the due process;

Provided that, in respect of Vice Chancellors of institutions Deemed to be universities managed and controlled by the Central Government or State Government, the Commission shall convey its advice regarding removal of Vice-Chancellor to the relevant Ministry of the Central Government or the State Government, as the case may be.

10.12.3 **Pro Vice-Chancellor**

The post of the Pro Vice-Chancellor may be created in an Institution Deemed to be University by the Board of Management;

Provided that in respect of institutions managed and controlled by Central Government or State Government the prior approval of the appropriate Government shall be obtained before creating the post.

- ii. The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- iii. The Pro Vice-Chancellor shall hold office co-terminus with the office of the Vice-Chancellor
- The Pro Vice-Chancellor shall have the powers and duties as prescribed by Rules of the Institution Deemed to be University.

10.12.4 Registrar

- i. The Registrar shall be a whole time salaried officer of the Institution Deemed to be University and shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee consisting of the following:
 - a) Vice Chancellor Chairperson;
 - b) One nominee of the Chancellor;
 - c) One nominee of the Board of Management; and,

- d) One expert, not being an employee of the Institution Deemed to be University, to be appointed by the Board of Management.
- ii. The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be as prescribed by Rules of the Institution Deemed to be University.
- iii. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is on leave or absent due to any other reasons, the duties and functions of the Registrar shall be performed by such other person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
- iv. The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Board of Management, the Academic Council and the Planning and Monitoring Board, but shall not be Deemed to be a member of any of these authorities.
- v. The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and shall work under his direction.
- vi. The following shall be the duties of the Registrar:
 - a) To be the custodian of the records and the funds and such other property of the Institution Deemed to be University as the Board of Management may commit to his/her charge;
 - b) To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution Deemed to be university;
 - c) To issue notices convening meetings of the authorities of the Institution Deemed to be University and all Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
 - d) To maintain the minutes of the meetings of all the authorities of the Institution Deemed to be University and of all the Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
 - e) To make arrangements for the examinations conducted by the Institution Deemed to be University;
 - f) To represent the Institution Deemed to be University in suits or proceedings by or against the Institution Deemed to be University, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his/her representatives for this purpose;
 - g) To enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the Institution Deemed to be University;
 - h) To make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the Institution Deemed to be University;
 - To perform such other duties as may be specified in the Rules of the Institution Deemed to be University, or as may be assigned by the Board of management or the Vice-Chancellor from time to time.

10.12.5 Finance Officer

- i. The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the Institution Deemed to be University and shall be appointed by the Board of Management.
- ii. The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be as may be prescribed by Rules of the Institution Deemed to be University.
- iii. The Finance Officer shall work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Board of Management through the Vice-Chancellor.
- iv. He/she shall be responsible for the preparation of annual budget estimates and statements of account for submission to the Finance Committee and the Board of Management.

v. He/she shall be responsible for the management of funds and investments of Institution Deemed to be University, subject to the control of Board of Management.

10.12.6 **Controller of Examinations**

- i. The Controller of Examinations shall be appointed by the Board of Management.
- ii. The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be as may be prescribed by Rules of the Institution Deemed to be University.
- iii. The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Board of Management, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.
- iv. The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Academic Council.

10.12.7 **Dean**

The Departments dealing with allied subjects could be grouped into faculties, and every faculty may be headed by a Dean.

10.12.8 **Head of the Department**

i. There shall be a Head of the Department for each of the Departments in the Institution Deemed to be University who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department.

Provided that if there is no Professor in the Department or there is only one Professor in the Department whose term as Head of the Department is ending, the Vice-Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.

- ii. The term of the Head of the Department shall normally be 3 years and he/ she shall be eligible for reappointment for one more term, but not for two consecutive terms.
- iii. The powers and functions of the Head of the Department shall be prescribed by Rules of the Institution Deemed to be University.
- 10.12.9 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the governance system and management structure of an Institution Deemed to be University managed and controlled by the Central Government or the State Government shall be in accordance with the decision of the appropriate Government.

11.0 ADMISSIONS AND FEES STRUCTURE

- 11.01 No Institution Deemed to be University shall, for admission in respect of any course or programme of study conducted in such institution, accept payment towards admission fee and other fees and charges,-
 - (a) which is a capitation fee or donation in whatever nomenclature or form, either directly or indirectly
 - (b) other than such fee or charges for such admission, which has been declared by it in the prospectus for admission against any such seat, and on the website of the institution,
 - (c) more than the fee prescribed by the fee committee constituted as per fee regulations issued by the Commission.
 - (d) without a proper receipt in writing issued for such payment to the student admitted in such institution.
- 11.02 (1) No Institution Deemed to be University shall charge any fee for an admission test other than an amount representing the reasonable cost incurred by it in conducting such test.
 - (2) Institution Deemed to be University shall be abided by UGC notification regarding refund of fees and non retention of original certificate as amended time to time.

- 11.03 Admission of students to an Institution Deemed to be University, public or private, shall be strictly based on merit in the entrance exam prescribed by the appropriate statutory authority and in the manner specified in the prospectus, in case no entrance exam has been prescribed.
- 11.04 Every Institution Deemed to be University shall maintain the records of the entire process of selection of candidates, exhibit such records on its website, and preserve such records for a minimum period of five years.
- 11.05 Before the expiry of sixty days prior to the commencement of admission to any of its courses or programmes of study, every Institution Deemed to be University shall publish and upload on its website (in the form of an affidavit) its prospectus containing inter alia, the following:
 - i. each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or a programme of study, and the other terms and conditions of such payment;
 - ii. the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the student;
 - iii. the number of seats approved in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
 - iv. the educational qualifications specified by the relevant statutory authority/body, or by the institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;
 - v. the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;
 - vi. all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular, such discipline relating to prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made under the University Grants Commission Act, 1956 or any other law for the time being in force.
- 11.06 No Institution Deemed to be University shall retain from the candidates seeking admission any original certificates of school leaving examinations, or degree or any other award; and shall, after due verification with the original certificates, retain only copies of such certificates self-attested by the candidates for its records.

12.0 INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY OPEN TO ALL

- 12.01 Admission and employment in an Institution Deemed to be University shall be open to all citizens of India regardless of religion, race, caste, sex, place of birth or residence.
- 12.02 All policies and procedures, in matters of admission and employment as applicable to the university-level public and privately funded institutions respectively, shall apply to the appropriate category of institutions Deemed to be universities.

13.0 INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY TO BE UNITARY

Once an institution is declared as Institution Deemed to be University, it shall be unitary in nature, and shall not affiliate any other institution nor shall add any constituent institutions.

14.0 RESERVATION POLICY

Institution Deemed to be University shall implement the policy on reservations in admissions and recruitment, in accordance with provisions of the Constitution of India and any Act of Parliament for the time being in force and disclose all such information on its website.

15.0 **DISTANCE EDUCATION**

Institution Deemed to be Universities may offer courses in the Open, Distance Learning / On Line mode in accordance with the UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, and UGC (Online Courses or Programs) Regulations 2018 as amended from time to time.

Provided that Institution Deemed to be University, which are already offering programmes of study, with the approval of the Commission, through the Open and Distance Learning mode, shall be permitted to continue such programmes subject to further approval by the Commission.

16.0 POWER TO CONDUCT ENQUIRY AND CONSEQUENCES OF VIOLATION OF REGULATIONS

- 16.01 Where the Government or the Commission, as the case may be, receives information by way of a complaint or otherwise, that an Institution Deemed to be University has violated any of the provisions of these Regulations, it shall cause to conduct an enquiry into the facts of such information after issuing a notice to the said effect to the Institution Deemed to be University.
- 16.02 The Commission may also cause an inspection, to be made by persons of eminence and integrity; being experts in matters of academics, administration and finance; regarding academic outcomes or any matter connected with the administration or finances of the Institution Deemed to be University for the purpose of the enquiry.
- 16.03 Based on the enquiry or through regular inspections mentioned in these Regulations, if the Government or the Commission, as the case may be, is satisfied that these Regulations have been violated, the Institution Deemed to be University shall be subjected to such action as provided in these Regulations, after a reasonable opportunity has been given to the institution to present its case.
- 16.04 Where an Institution Deemed to be University is found to have violated the provision(s) of these Regulations, it may be subjected to one or more of the following action(s):
 - A. Violations leading to issuance of unapproved degrees:
 - i. Punishment under Section 24 of the University Grants Commission, 1956.
 - ii. Barring from any expansion in terms of diversification to new Courses / Programmes of study / Department(s) and Off-Campus(es) / Constituent Institution(s) / Off-Shore Campuses, for a limited period.
 - iii. Reducing the intake capacity in student enrolment in a specific course(s) or in all courses, for a limited period or in perpetuity.
 - iv. Barring from admission of students for a limited period or in perpetuity in a specific course(s) or all courses.
 - v. Closure of the Courses / Programmes of study / Department(s) and Off-Campus(es) / Constituent Institution(s) / Off-Shore Campuses.
 - vi. Withdrawal of the notification of declaration as Institution Deemed to be University.
 - B. Violations leading to non-adherence of the Regulations:
 - i. Where any deficiencies in complying with the provisions of these Regulations come to the notice of the Commission, it shall issue a warning in that regard to the Institution Deemed to be Universityrequiring rectification within a reasonable time; and, failure to take remedial action within the said period shall attract punishments provided under these Regulations.
 - Provided that any punishment awarded to the institution Deemed to be university shall be without detriment to the interests of the students.
 - ii. Vice-Chancellor of the Institution Deemed to be University may be removed as per the procedure laid down in relevant Clause of these Regulations.
 - iii. Repeated violations of the provisions of these regulations shall attract action(s) mentioned in Clause 16.05A, herein above.

17.0 CONSIDERATION OF PROPOSALS UNDER PREVIOUS REGULATIONS

All proposals for seeking declaration as an Institution Deemed to be University or seeking approval for establishing off-Campus Centres or off-shore Campus(es) or for the inclusion of other institutions in the ambit of the Institution Deemed to be University, which are either pending or in process before the Commission or have been received by the Government prior to the date of notification of these Regulations, shall be governed by these Regulations.

Provided that if an applicant, in respect of a proposal prior to notification of these Regulations, desires so in writing that such application be processed under the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2016, the Government or the Commission, as the case may be, shall proceed to do so after obtaining an undertaking in writing from the applicant, to become compliant with these Regulations within two years of its notification, failing which the Deemed university status shall be withdrawn by the Government, and the applicant shall have to apply afresh for such status under these Regulations.

18.0 Funds, Accounts, Audits and Annual Report

- i. The books of accounts of the Institution Deemed to be University shall be maintained, managed and operated in the name of the Institution Deemed to be University and not in the name of the sponsoring body or any other; and, shall be kept in such form as may be laid down by the Board of Management and conform to the rules, if any, prescribed in this regard by the Commission.
- ii. Funds shall not be diverted at any time from the accounts of the Institution Deemed to be University to any other accounts, including to the accounts of the Sponsoring body.
- iii. The Institution Deemed to be University shall get its books of accounts audited, annually and at such other frequency as shall be prescribed by the Commission, separately published and uploaded on the website of the Institution; and if such institution is funded by Central or State Government or through its agencies fully or partially, then the accounts of such Institution Deemed to be University shall be open for examination by the Controller and Auditor General of India; accounts of Institution Deemed to be University shall also, where required, be open for inspection by the Commission.
 - iv. The annual financial statements and accounts shall be audited by a qualified professional, being a Member or Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, to be appointed by the Institution Deemed to be University.

Provided that, the Commission may, on receipt of information in regard to financial impropriety or embezzlement or illegal diversion of funds from the accounts of the Institution Deemed to be University; or of fees being collected against the provision of the regulations, issue a notice directing the Institution Deemed to be University to show cause as to why an inspection, including a forensic audit, not be ordered in respect of the complaint, and after providing a reasonable opportunity to the respondent institution, the Commission may on being satisfied that there were sufficient grounds to proceed further, cause an inspection by a team of the Commission and also direct a forensic audit to be undertaken by a qualified Member or Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India; the report of and the inspection team and the forensic audit report taken together shall form the basis for the Commission to take further action, as it may be Deemed fit, under these Regulations.

v. Annual Reports and the Audit Reports shall be submitted by the Institution Deemed to be University to the Commission within nine months of the closure of the accounting year.

19.0 Miscellaneous

- i. The Institution Deemed to be University shall mention the name with location of campus/off campus /off-shore campus/ constituent unit/Constituent institution on the degree, diploma, certificate, or any other qualification awarded to students on its rolls.
- ii. The Institution Deemed to be University shall, as soon as may be, after the completion of the academic programme, and in no case later than 180 days from the date of such completion, ensure that

the degree, diploma, certificate, or any other qualification in respect of the programme of studies, is awarded and made available to students.

- iii. No Institution Deemed to be University shall at any time enter into any franchise agreement or arrangement, either overtly or covertly, with any individual or organization for establishing, maintaining or operating the off-Campus/off-shore campus/constituent unit(s) / constituent institution/ course/ programme of study/ department/ school/ faculty of the Institution Deemed to be University.
- iv. While every effort shall be made by the Government or the Commission, as the case may be, in respect of disposal of applications received from Sponsoring bodies or Institution Deemed to be University within the prescribed time limit, if any, such applications shall not be Deemed to have been disposed off owing merely to the fact that such time limit has been exceeded; the applicant shall, however, be at liberty to remind the Government or the Commission, as the case may be.
- v. The income and property of the Institution Deemed to be University shall be utilized solely for promoting the objectives of the Institution Deemed to be University.
 - vi. The Commission shall have the powers to issue directions to an Institution Deemed to be University for implementation of any public policy of the Government or in spect of any law in force, including appropriate directions in case of any violation of any law or licy by the Institution Deemed to be University.
- vii. All expenditure incurred on the processing of application for granting Deemed to be University status, starting of off-campus/off-shore campus/constituent institution, etc. including all inspections by the Expert Committee shall be borne by the Commission; and any expenditure incurred directly or indirectly by the Sponsoring body or the Institution Deemed to be University, as the case may be, on or in connection with the visit of any inspection team of the Commission shall be Deemed to be a violation of these Regulations and proceeded with accordingly.
- viii. No portion of the income and property of the Institution Deemed to be University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the Institution Deemed to be University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the Institution Deemed to be University or for travelling or other allowances and such other charges.
 - ix. The Government, in consultation with the Commission, shall have powers to impose such other condition(s), not inconsistent with these Regulations, in the Letter of Intent or Notification, and the same shall be binding on the Institution Deemed to be University.
 - x. Every Institution Deemed to be University shall, in order to comply with the relevant UGC norms, provide for the following, namely:
 - a) Anti Ragging Cell
 - b) Anti discrimination Cell
 - c) Gender Sensitization Cell
 - d) Grievance Redressal Cell
 - e) Internal Complaints Committee for prevention of Sexual Harassment
 - f) Barrier Free access to persons with disabilities to all its facilities
- xii Where, an Institution Deemed to be University wishes to surrender its status of

'Institution Deemed to be University', it may do so with the prior permission of the

Government; and similarly, withdrawal of any Constituent Unit(s) of the Institution Deemed to be University from the purview of an Institution Deemed to be University, shall require the Sponsoring body to take the prior permission of the Government.

Provided that such surrender or withdrawal, as the case may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the Institution Deemed to be University or its Constituent Unit(s), as

the case may be, have been accorded opportunity to qualify for the completion of the programme of study and award of degree.

xi. In the event of conflict of opinion with regard to interpretation of these Regulations, the opinion of the Commission shall be final.

20.0 Legal Proceedings

- (1) For the purpose of Section 6 of the Societies Registration Act, 1860, the person in whose name the Institution Deemed to be University may sue or be sued shall be the Registrar, who shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the Institution Deemed to be University, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by these Regulations.
- (2) No suit or legal proceedings shall lie against the Government, or the Commission, or the Institution Deemed to be University, or an Officer of the Institution Deemed to be University, or a member of the authority of the Institution Deemed to be University, in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of any of these Regulations.

21. Removal of Difficulty

UGC reserves the right to remove difficulty/ies in the course of implementation of these regulations in consultation with the Government of India, Ministry of Human Resource Development.

RAJNISH JAIN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./548/18]